

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पेंशन संबंधी निदेशों का सार - संग्रह, अगस्त, 2023 -जुलाई, 2024

Compendium of Pension related Instructions, August, 2023 - July, 2024



भारत सरकार
Government of India

पेंशन संबंधी निदेशों का सार - संग्रह, अगस्त,2023 - जुलाई,2024

Compendium of Pension related Instructions, August, 2023 - July, 2024

कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
Ministry of Personnel , Public Grievances and Pensions

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
Department of Pension & Pensioners' Welfare

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अगस्त, 2023 से जुलाई, 2024 तक जारी किए गए परिपत्रों का सार-संग्रह

Compendium of circulars issued by Department of Pension and Pensioners' Welfare during August, 2023 to July, 2024

क्र. सं. S. No.	परिपत्र सं. Circular No.	विषय Subject	दिनांक Date	पृष्ठ सं. Page No.
1	14/12/2023-पी&पीडब्ल्यू (सीपेन)-9012	पेंशन शिकायत निवारण तंत्र (सीपेनग्राम्स) को सुदृढ़ बनाना	23.08.2023	1-2
	14/12/2023-P&PW(CPEN)-9012	Strengthening of Machinery for Redress of Pension Grievance on CPENGRAMS Portal -reg.	23.08.2023	3-4
2	1(2)/2023-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8669	80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर से फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा के संबंध में।	25.09.2023	5-6
	1(2)/2023-P&PW(H)-8869	Facilitation of Digital Life certificate through Face Authentication for Super Senior Pensioners aged 80 years and above from 1st October every year- reg.	25.09.2023	7-25
3	42/08/2023-पी&पीडब्ल्यू (डी)	स्कोवा का पुनर्गठन	26.09.2023	26-29
	42/08/2023-P&PW(D)	Reconstitution of SCOVA	26.09.2023	30-33
4	28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू (बी)(1)	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संदेय उपदान से सरकारी शोध्यों का समायोजन और वसूली - संबंधी।	20.10.2023	34
	28/91/2022-P&PW(B) (1)	Adjustment and recovery of Government dues from gratuity payable under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021- reg.	20.10.2023	35-36
5	28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू (बी)(2)	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संदेय उपदान से सरकारी शोध्यों का समायोजन और वसूली करने की प्रक्रिया -संबंधी।	20.10.2023	37-39
	28/91/2022-P&PW(B) (2)	Procedure for adjustment and recovery of Government dues from gratuity payable under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.	20.10.2023	40-41
6	28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू (बी)/8297 (1)	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी।	20.10.2023	42
	28/90/2022-P&PW(B)/8297 (1)	Periodic verification of qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and monitoring at the level of Secretary of the	20.10.2023	43

		administrative Ministry/Department.		
7	57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू (बी)/8361(1)	ऐसे कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का. ज्ञा. के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।	20.10.2023	44
	57/03/2022-P&PW(B)/8361 (1)	Options for inclusion under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in accordance with DoPPW OM dated 03.03.2023 to those employees who have since been retired- reg.	20.10.2023	45
8	57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू (बी)/8361 (2)	ऐसे कर्मचारियों जो केंद्र सरकार / राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय की सेवा से केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त हुए हैं, को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का. ज्ञा. के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किया जाने के संबंध	20.10.2023	46-47
	57/03/2022-P&PW(B)/8361 (2)	Inclusion under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) in accordance with DoPPW OM dated 03.03.2023 to those employees who have joined Central Government service on mobility from Central Government/State Government / autonomous body service- reg.	20.10.2023	48
9	21/05/2023-पी&पीडब्ल्यू (एफ)	मास्टर परिपत्र - अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी/आहरण के उपबंधों का उदारीकरण।	20.10.2023	49-51
	21/05/2023-P&PW(F)	Master circular-Liberalization of provisions for withdrawal/drawal of advance from the General Provident Fund by the subscribers.	20.10.2023	52-54
10	42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू (डी)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी- दिनांक 01.07.2023 से संशोधित दर लागू।	27.10.2023	55-56
	42/04/2023-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners Revised rate effective from 01.07.2023.	27.10.2023	57-58
11	57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित / अधिसूचित पदों / रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किया जाना ।	07.11.2023	59
	57/05/2021-P&PW(B)	Inclusion of Central Government employees recruited against the posts/vacancies advertised/ notified prior to 22.12.2003, under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021)- reg.	07.11.2023	60
12	04/07/2020-पी&पीडब्ल्यू (डी)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किये गए पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) की मंजूरी -संबंधी।	06.12.2023	61-73
	04/07/2020-P&PW(D)	Grant of Fixed Medical Allowance (FMA) to Pensioners/Family Pensioners covered under	06.12.2023	74-86

		National Pension System-reg		
13	42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू (डी)	पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग श्रृंखला में मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को दिनांक 01.07.2023 से लागू महंगाई राहत की मंजूरी।	28.12.2023	87-88
	42/04/2023-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.07.2023 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment -reg	28.12.2023	89-90
14	1/1(1)/2023-पी&पीडब्ल्यू (ई)	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में संशोधन-वैवाहिक कलह के कारण अदालत में तलाक की कार्यवाही दायर करने या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी मामले को दायर करने की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों / महिला पेंशनभोगी को कुटुंब पेंशन के लिए अपने पति से पूर्व अपने बच्चे / बच्चों को नामनिर्देशित करने की अनुमति देना - संबंधी।	01.01.2024	91-92
	1/1(1)/2023-P&PW(E)	Amendment to CCS(Pension) Rules,2021-Allowing female Government servants/female Pensioner to nominate her child/children for family pension in precedence to her husband in the event of marital discord leading to filing of divorce proceedings in a Court of Law or filing of a case under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or Indian Penal Code-reg	01.01.2024	93-94
15	1/2/2022(JCM)-पी&पीडब्ल्यू (ई)	पेंशन अदालतों का आयोजन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/पेंशन संवितरण बैंकों की वेबसाइट पर पेंशन अदालतों का कैलेंडर प्रदर्शित करना।	15.01.2024	95
	1/2/2022(JCM)-P&PW(E)	Holding of Pension Adalat- Display of Calendar of Pension Adalats on the website of Ministries/Departments/Organisations /Pension Disbursing Banks-reg	15.01.2024	96
16	42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू (डी)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.01.2024 से लागू।	13.03.2024	97-98
	42/02/2024-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief to Central Government Pensioners/Family Pensioners- Revised rate effective from 01.01.2024	13.03.2024	99-100
17	57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	ऐसे कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।	09.04.2024	101-103
	57/05/2021-P&PW (B)	Options for inclusion under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in accordance with DoPPW OM dated 03.03.2023 to those employees who have since been retired- reg.	09.04.2024	104-106
18	3/6/2021-	सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के लिए पांच लाख रूपए	02.05.2024	107-108

	पी&पीडब्ल्यू (एफ)	की अधिकतम सीमा से अधिक राशि की कटौती किए जाने पर ब्याज की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।		
	3/6/2021-P&PW(F)	Clarification regarding the admissibility of interest over and above the threshold limit of Rupees Five Lakhs deducted towards GPF	02.05.2024	109-111
19	28/03/2024-पी&पीडब्ल्यू (बी)/9559	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन- महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपदान राशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में ।	30.05.2024	112
	28/03/2024-P&PW(B)/9559	Enhancement of maximum limit of Gratuity to Central Government employees on reaching the Dearness Allowance rates to Fifty percent	30.05.2024	113
20	57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का. ज्ञा. के अनुसरण में एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना के संबंध में।	04.06.2024	114
	57/02/2021-P&PW(B)	Setting up of NPS oversight mechanism online portal in pursuance to Department of Expenditure OM dated 02.07.2019- reg.	04.06.2024	115

****

सं.- 14/12/2023-पी&पीडब्ल्यू(सीपेन)-9012

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

8वां तल, जनपथ भवन, जनपथ,

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पेंशन शिकायत निवारण तंत्र (सीपेनग्राम्स) को सुदृढ़ बनाना

केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपेनग्राम्स) एक ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है जिसे केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों को शीघ्र पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ पेंशन संबंधी शिकायतों का त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। शिकायतों को या तो सीधे पोर्टल पर दर्ज किया जाता है या विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की ओर से ई-मेल, डाक या एकीकृत शिकायत प्रकोष्ठ और कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर : 1800-11-1960 के माध्यम से ब्यौरे प्राप्त करने के पश्चात दर्ज किया जाता है।

2. सीपेनग्राम्स के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की शिकायतों का संतोषजनक निपटान करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अपने आंतरिक समाधान तंत्र की समीक्षा करने, उसे कारगर बनाने तथा उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है, जो निम्नवत है :

क. शिकायत निवारण तंत्र : -

(i) सीपेनग्राम्स पर दर्ज शिकायतों का निपटान करने के लिए 30 दिन की निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाए। कुटुंब पेंशनभोगियों और अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों से संबंधित शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(ii) सभी मंत्रालय/विभाग अपने नोडल लोक शिकायत अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारियों(जीआरओ) के कार्यकाल में यथासंभव निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करें।

(iii) पेंशन संबंधी अपीलों का समय पर निपटान करने के लिए नोडल लोक शिकायत अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अपील प्राधिकारी नियुक्त किया जाए। अपील प्राधिकारी 30 दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

ख. शिकायत को बंद करना : -

(i) सीपेनग्राम्स पोर्टल पर शिकायत को वंद करने का दायित्व संबंधित मंत्रालय/विभाग पर है, न कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग पर।

(ii) शिकायत को सीपेनग्राम्स पोर्टल पर अंतिम एवं निर्णायक निवारण के पश्चात् ही बंद किया जाए।

(iii) सीपेनग्राम्स पोर्टल पर शिकायत को समय से पूर्व बंद न किया जाए।

3. इसे अपर सचिव (पेंशन) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक

सेवा में,

i. सचिव, भारत सरकार।
ii. मंत्रालयों/विभागों के अपील प्राधिकारी।
iii. मंत्रालयों/विभागों के नोडल लोक शिकायत अधिकारी।
iv. एनआईसी, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

i. प्रधानमंत्री कार्यालय (कृपया ध्यान दें : श्री अमित खरे, प्रधानमंत्री के सलाहकार)
ii. मंत्रिमंडल सचिव
iii. सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय
iv. महासचिव, राज्यसभा सचिवालय
v. महासचिव, लोकसभा सचिवालय
vi. सचिव (समन्वय और लोक शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक

F-No- 14/12/2023-P&PW(CPEN)-9012
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & pensions
Department of Pension and Pensioners' Grievances
***

8th Floor, Janpath Bhawan, Janpath,
New Delhi, 23rd August, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: Strengthening of Machinery for Redress of Pension Grievance (CPENGRAMS)

Centralized Pension Grievances Redress and Monitoring System (CPENGRAMS) is an online computerised system which has been developed with an objective of speedy redress and effective monitoring of the pension related grievances besides providing a fast access to the Central Civil Pensioners. The grievances are either registered directly on the portal or registered by the department on behalf of the complainant after receiving details through e-mail, Post or Integrated Grievance Cell & Call Centre's Toll free number:**1800-11-1960**.

2. To achieve the objectives of the CPENGRAMS, and to satisfactorily resolve the grievances of thc Pensioners/Family Pensioners, the Ministries/Departments need to review, streamline and strengthen their internal resolution mechanisms. To make the system effective, a road map has been drawn, which is as under:

A. Grievance Redressal Mechanism: -

(i) The prescribed time limit of 30 days, within which the grievances lodged on CPENGRAMS are to be resolved, should be adhered to. The grievances pertaining to Family Pensioners and Super-senior pensioners may be accorded highest priority.

(ii) The Ministries/Departments should ensure the continuity and stability in the tenure of their Nodal Public Grievance Officer and Grievance Resolution Officers (GROs) to the extent possible.

(iii) An Officer senior to the Nodal Public Grievance Officer will be appointed as Nodal Appellate Authority for timely disposal of Pension related Appeals. The Appellate Authority will dispose of the appeal within 30 days.

B. Closure of Grievances: -

(i) The onus of closure of the grievances on the CPENGRAMS portal lies on the concerned Ministry/Dcpartment and not with DOPPW.

(ii) The grievances should be closed on CPENGRAMS portal, only after ultimate and conclusive redressal of the grievances.

(iii) Pre-mature closure of the grievances on CPENGRAMS portal must be avoided.

3. This issues with approval of Additional Secretary (Pension).

प्रमोद

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक

To

i. Secretary to the GoI.
ii. Nodal Appellate Authority of Ministrics/Departments.
iii. Nodal Public Grievance Officers of Ministries/Departments.
iv. NIC, DOPPW

Copy for information to:

i. PMO (Kind Attention : Sh Amit Khare, Advisor to PM)
ii. Cabinet Secretary
iii. Secretary to the President Secretariat
iv. Secretary General , Rajya Sabha Secretariat
v. Secretary General , Lok Sabha Secretariat,
vi. Secretary [Coordination &PG) , Cabinet Secretariat

प्रमोद

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक

सं. 1(2)/2023-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8869

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

8वीं मंजिल, बी-विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 25 सितंबर, 2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: **80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर से फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 18/7/2019 के का.ज्ञा. स.1/20/2018-पी&पीडब्ल्यू(ई)(प्रति संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जोकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर से फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवनप्रमाण जमा करने की सुविधा से संबंधित है।

2. फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा से, अब यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति एंड्राइड स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने घर या बैंक शाखा से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है।

3. यह परामर्श दिया जाता है कि सभी बैंक फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मो का उपयोग करें। बैंकों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं:-

i. अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को उनके एंड्राइड फोन द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम बनाने के लिए पेंशनभोगियों को उनके एसएमएस/ईमेल/ व्हाट्सऐप संदेश के साथ फेस ऑथेंटिकेशन के एसओपी का लिंक भेजा जाए।
(एसओपी का यूट्यूब लिंक:
अंग्रेजी: https://www.youtube.com/watch?v=MT4z_dDfdFY
हिंदी: https://www.youtube.com/watch?v=JbWZJkm-PB)&t=11s)

क्रमशः ... 2

ii. इस तकनीकी के उपयोग से परिचित होने के लिए सभी बैंक, संबंधित अधिकारियों को ईमेल द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डीएलसी पर एसओपी भेजें (प्रति संलग्न)।

iii. शैय्याग्रस्त/अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में मदद करने के लिए डोरस्टेप बैंकिंग अधिकारियों की तैनाती की जाए।

iv. सभी बैंक अपनी शाखाओं/एटीएम में सूचना पोस्टर लगा कर डीएलसी जमा करने की पद्धति का प्रचार-प्रसार करें।

4. 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए सभी बैंक शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

संलग्नक: (1) दिनांक 18/7/2019 का का.ज्ञा. सं.1/20/2018-पी&पीडब्ल्यू(ई)
(2) फेस ऑथेंटिकेशन पर एसओपी

(रुचिर मित्तल)
निदेशक (पीडब्ल्यू)

सेवा में,

सभी पेंशन संवितरण बैंक/प्राधिकरण (मेल द्वारा)

प्रति:

1. सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग
2. रक्षालेखा महानियंत्रक
3. महालेखा नियंत्रक
4. पेंशन महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
5. पेंशनभोगी कल्याण संघ

No. 1(2)/2023-P&PW(H)-8869
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
***

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 25 सितम्बर 2023

OFFICE MEMEORANDUM

Sub: Facilitation of Digital Life certificate through Face Authentication for Super Senior Pensioners aged 80 years and above from 1st October every year- reg.

The undersigned is directed to refer to Department of Pension and Pensioners' Welfare's OM No. 1/20/2018-P&PW(E) dated 18/7/2019 (copy enclosed) regarding provisions of submission of life certificate for super senior pensioners aged 80 years and above from 1st October to every year.

2. In view of the Digital Life Certificate through Face Authentication Technology, it is now possible that each and every citizen can submit Digital life certificate either from home using android smartphone or bank branch.

3. It is suggested that all Banks may utilize the various platforms for creating awareness of the convenience of obtaining a Life Certificate by using the Face Authentication Technology. The following steps may be taken by the Banks:-

i. SMS/ emails/ Whats App message may be sent to the pensioner with link of SOP of Face Authentication to empower the Super Senior Pensioner to submit their Life Certificate through Face Authentication Technology through their Android phone. (Youtube link of SOP: https://www.youtube.com/watch?v=MT4z_dDfdFY Hindi: https://www.youtube.com/watch?v=JbWZJkm-PB0&t=11s).
ii. Banks may circulate the SOP on DLC through Face Authentication (copy enclosed) through email to concerned officials of Banks to enable them to get familiar with the usage of this technology.
iii. Facilitate bed-ridden/hospitalized pensioners for submission of life certificate of by deputing Doorstep banking executives.
iv. Banks may run widely publicize the methodology for submitting DLC by pasting information posters in branches/ATMs.

Cont... 2

4. Necessary instructions may be issued to all the Bank branches to make suitable arrangements for submission of Life Certificate by the super senior pensioners/family pensioners aged 80 years and above from 1st October of every year.

Encl: (1) OM No. 1/20/2018-P&PW(E) dated 18/7/2019
(2) SOP on Face Authentication.

(रुचिर मित्तल)
निदेशक (पी.डब्लू.)

To

All Pension Disbursing Banks/ Authorities through mail.

Copy to:

1. Secretary, All Ministries/ Departments.
2. Controller General of Defence Accounts.
3. Controller General of Accounts
4. Chief Controller of Pension, Ministry of Finance Department of Expenditure, Bhikaji Cama Place, Rama Krishna Puram, New Delhi.
5. Pensioners' Welfare Associations

No. 1/20/2018-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 18.7.2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Submission of Life Certificate.

It has been the experience of this Department that the Senior Pensioners i.e. the pensioners 80 years and above are facing a lot of difficulties standing in queues while giving the Life Certificates in November. It has been under the consideration of the Government to provide some relief to such pensioners.

2. It has therefore, been decided by the Government, that Senior Pensioners aged 80 years and above be allowed to give their Life Certificate **w.e.f 1st October every year instead of November which would be valid till 30th November of the subsequent year.**

3. The remaining pensioners below the age of 80 years may continue to give their Life Certificate in November as per existing provisions of CPAO Scheme booklet.

This has the approval of competent authority.

(Sanjoy Shankar)
Under Secretary to Govt. of India

To

1. Shri Nitesh Kumar Mishra, Chief Controller of Pension, Ministry of Finance Department of Expenditure, Bhikaji Cama Place, Rama Krishna Puram, New Delhi.
2. Shri Adnan Ahmed, DDG(Postal Operations), Dak Bhawan, Patel Chowk, New Delhi.
3. All Pension Disbursing Banks.

Copy for information to

i. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
ii. Secretary, Ministry of Defence.
iii. Secretary, Department of Ex-Servicemen.
iv. Secretary, Department of Financial Services.
v Secretary, Department of Telecommunication.
vi. All Chief Secretaries of States.
vii. O/o CGA.
viii Jt CGDA

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION &
PENSIONERS' WELFARE

One of the best practices in digital innovation launched by Department of Pension & Pensioners' Welfare.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

DOPPW, in collaboration with UIDAI & MeitY, has launched Face Authentication technology for submission of Digital Life Certificate for enhancing "Ease of Living" of 70 lakhs Central Govt. Pensioners'.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION &
PENSIONERS' WELFARE

DLC through Face Authentication Technology is based on Aadhaar using Android based smartphone.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

Process of submitting Life Certificate through "FACE AUTHENTICATION"



STEP -1

In this step, the pensioner/family pensioner needs to go to the Google Play Store and search for "Aadhaar Face RD (Early Access) Application" by UIDAI (Unique Identification Authority of India) with latest Version (presently 0.7.43).



STEP -2

After successfully installing the Aadhaar Face RD App on the device, it will appear in the Settings under App Manager or App Info. This application is used for the background process of the Jeevan Pramaan Application, so it is mandatory to install it.



STEP -3

Once the Aadhaar Face RD App is installed on your smartphone/Android device, the pensioner/family pensioner needs to download another application called "Jeevan Pramaan" from the Google Play Store with Version 3.6.3.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION &
PENSIONERS' WELFARE



STEP -4

After successfully installing both applications, the pensioner/family pensioner should open the "Jeevan Pramaan" application. They will be taken to the "Operator Authentication" screen where they have to provide their personal details as follows:

1. Click on the Aadhaar checkbox.
2. Enter the Aadhaar Number.
3. Enter the Mobile Number.
4. Enter the Email Address.
5. Click on the Submit Button.

***Please ensure that all the information provided is correct as per the records.**
***A pensioner/family pensioner/any other person on behalf of pensioner/family pensioner can be an Operator to generate DLC.**
***All the sections marked with an asterisk (*) are mandatory to fill.**

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION &
PENSIONERS' WELFARE



STEP -5

After providing all the information, the Operator (pensioner/family pensioner/any other person on behalf of pensioner/family pensioner) needs to submit the OTP (One Time Password) sent to their respective mobile number and email address.

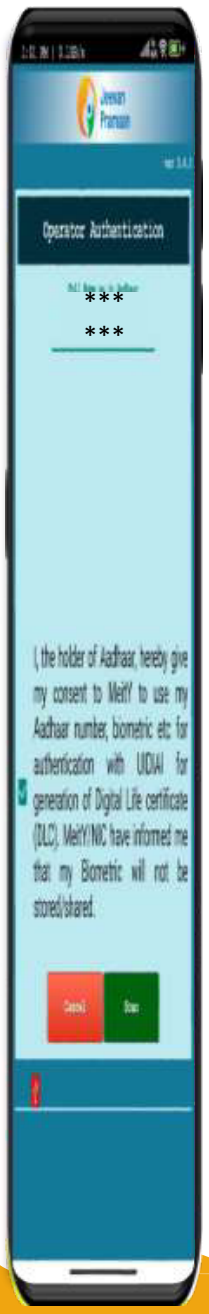

STEP -6

After submitting the OTP, the Jeevan Pramaan App will take the Operator (pensioner/family pensioner/any other person on behalf of pensioner/family pensioner) to a screen where they have to provide their Name as per Aadhaar. They should click on the checkbox and then click on Scan. The app will request permission for Face Scan, and the pensioner/family pensioner should press "Yes" to continue the process.





STEP -7

Before the scan, the app will display instructions and guidelines for the face scan. The pensioner/family pensioner should read them carefully. Afterward, they need to click on the "I am aware of this" checkbox to continue and press proceed. The app will capture their face.



Government of India
DEPARTMENT OF PENSION &
PENSIONERS' WELFARE

STEP-8

Note:-

1. The operator authentication is a one time process.
2. Pensioner can also be the Operator.
3. After operator authentication, a screen will open for pensioner authentication.
4. One operator can generate DLC of multiple Pensioners.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-9



Image-1

After Operator Authentication a screen opens for Pensioner Authentication (Image-1) where they have to provide their personal details as follows:

1. Click the checkbox of Aadhaar.
2. Enter Aadhaar Number.
3. Enter Mobile Number.
4. Enter Email Address (Not Mandatory).
5. Click on the 'Submit' button.
6. On clicking submit button, an option appears on screen 'Enter OTP' (Image-2)
7. Enter OTP and click Submit button



Image-2

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-10



Image-1

After submission of OTP a screen will appear (Image-1) where the following information is to be provided:

1. Full Name as per Aadhaar
2. Type of Pension
3. Sanctioning Authority
4. Disbursing Agency
5. PPO Number
6. Account Number (pension)
7. Click on the declarations
8. Click on Submit button
9. A permission to Confirm will appear on the screen as per Image-2



Image-2

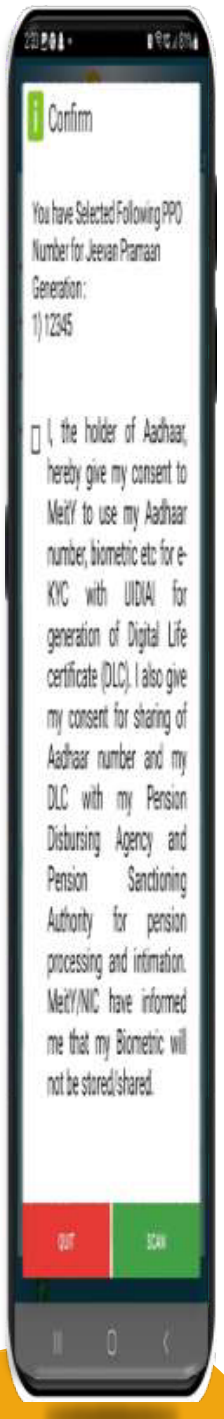

STEP -11

A screen will appear for providing consent and permission for scan .

Click on scan.

The process for scanning face will begin.



Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE



•After face scanning DLC submission appears on the mobile screen along with the Pramaan ID and PPO number.
•For downloading certificate visit:
https://jeevanpramaan.gov.in/
→ Pensioner Login/ Sign in
→ Enter Jeevan Pramaan ID

*For queries mail us at doppw-dlc@gov.in

*Follow us Facebook and Twitter

@facebook.com/DoPPW.India
@twitter.com/DOPPW_India

*DLC documentary- https://youtu.be/nNMlkTYqTF8







Issued in Public Interest

Government of India
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

सं. 42/08/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26 सितंबर, 2023

संकल्प

इस विभाग के दिनांक 25 जनवरी, 2021 के संकल्प सं.42/09/2020-पी&पीडब्ल्यू(डी) के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए गठित स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति(स्कोवा) के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने निम्नलिखित संरचना के साथ स्कोवा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है:

(क) राज्यमंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय):- अध्यक्ष

(ख) सचिव, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग :- संयोजक और सदस्य सचिव

(ग) आधिकारिक सदस्य:-

(i) वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
(ii) रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि
(iii) रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि
(iv) डाक विभाग के प्रतिनिधि
(v) दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि
(vi) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

(घ) गैर-आधिकारिक सदस्य (15 पेंशनभोगी संघ)

(i) स्थायी समूह (5 संघ)

क्र. सं.	पेंशनभोगी संघ का नाम
1.	बड़ौदा सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन, रावपुरा, श्री अपार्टमेंट, शंकर पोल, पुलिस स्टेशन के सामने, रावपुरा, वडोदरा-390001, गुजरात
2.	ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन, कटक, कणिका स्क्वायर (चाक), अक्षय मोहंती पार्क के पीछे, तुलसीपुर, कटक, उड़ीसा
3.	ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन, सदाशिव पेट, फडके संकुल, विद्यार्थी गृह के पास, पुणे, महाराष्ट्र
4.	इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग, 9 न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
5.	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ पेंशनर्स एसोसिएशन, चेन्नई, जी-2, सौंदर्य, न्यू 51(ओल्ड नं. 22), कवराई स्ट्रीट, वेस्ट सादियापेट, चेन्नई-600015, तमिलनाडु

(ii) चक्रीय समूह (10 संघ)

क्र. सं.	पेंशनभोगी संघ का नाम
1.	डिफेंस एकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन, C/o- पीसीडीए (साउदर्न कमांड) नं. 1, फाइनेंस रोड, पुणे, महाराष्ट्र-411001
2.	सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन (रजि.), जम्मू ओलंपिक एसोसिएशन बिल्डिंग, परेड, जम्मू-180001
3.	पोस्टल एकाउंट्स & ऑडिट पेंशनर्स एसोसिएशन, तिराश्रूप, 63, धरमपेट हाऊसिंग सोसाइटी लेआउट नं.-3, दीनदयाल नगर, नागपुर, महाराष्ट्र
4.	एक्स-डिफेंस एम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन, C/o- केसी मलिक, भोसाही (करंजीया), केंद्रीय विद्यालय के पास, डाकघर- बालासोर, बालासोर, उड़ीसा-756001
5.	झारखंड पेंशनर्स वेलफेयर कल्याण समाज, रूम नं. 101, ब्लॉक-बी, कलेक्टेरियट बिल्डिंग, कोर्ट कम्पाउंड, रांची-834001, झारखंड
6.	रिटायर्ड रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन, जगाधरी, बी-IX/1324, आर्य समाज मंदिर, विष्णु नगर, जगाधरी वर्कशॉप, यमुनानगर, हरियाणा
7.	ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ़ पेंशनर्स, 120/469, लाजपत नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश
8.	कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन, केजी बोस भवन, 68-बी मलंगा लेन, कोलकाता-700012, पश्चिम बंगाल
9.	कर्नाटक पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स एसोसिएशन, सं. 165, चौथा मेन, तीसरा ब्लॉक, तीसरा स्टेज, वासवेश्वरनगर, बंगलूरु, कर्नाटक
10.	जिपमर, पेंशनर्स एसोसिएशन, 33, तीसरा क्रॉस, मोहन नगर, पुडुचेरी

2. इस संकल्प के माध्यम से स्कोवा के पुनर्गठन का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। स्थायी समूह के सदस्य स्कोवा में शामिल होने की तारीख से प्रत्येक दो वर्ष के तीन कार्यकाल (कुल 6 वर्ष) या अध्यक्ष, स्कोवा की अनुमति तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्य करेंगे। चक्रीय समूह के सदस्य स्कोवा में शामिल होने की तारीख से दो वर्ष के एक कार्यकाल के लिए या अध्यक्ष, स्कोवा की अनुमति तक, जो भी पहले हो, कार्य करेंगे तथा एक और कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के पात्र होंगे।

3. स्कोवा आवश्यकतानुसार अपनी बैठक आयोजित करेगा। तथपि, यह वर्ष में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करेगा।

4. स्कोवा निम्नलिखित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा:

(i) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की नीतियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए।
(ii) नीतिगत पहलों की चर्चा और समीक्षात्मक जांच करने के लिए; तथा
(iii) सरकारी कार्रवाई के पूरक स्वैच्छिक प्रयासों को जुटाने के लिए।

5. स्कोवा की बैठक में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता एसआर 190 के प्रावधानों और उसके अधीन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा इस विभाग के दिनांक 19.05.2014 के पत्र सं201/11/42.4-पी&पीडब्ल्यू(जी) के अनुसार देय होगा।

6. इसके तहत किया जाने वाला व्यय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के स्वीकृत बजट अनुदान से किया जाएगा।

(रविन्द्र कुमार)
निदेशक

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

(रविन्द्र कुमार)
निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद

प्रतिलिपि:

1. स्कोवा के सभी सदस्य
2. संयुक्त सचिव (ईवी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. संयुक्त सचिव (प्रशा), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
4. संयुक्त सचिव, पूर्व सैनिक एवं कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय
5. संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव (सीजीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
7. कार्यपालक निदेशक (स्था), रेल मंत्रालय
8. उप महानिदेशक (स्था), डाक विभाग
9. उप महानिदेशक (स्था), दूरसंचार विभाग
10. रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए)
11. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ)

सूचनार्थ प्रति:

1. राज्यमंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय) के निजी सचिव
2. सचिव(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, तीसरा तल, लोक नायक भवन को इस "संकल्प" को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

F. No 42/08/2023-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G and Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 26th September, 2023

RESOLUTION

Consequent upon expiry of tenure of the Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) constituted vide this Department's Resolution No. 42/09/2020-P&PW(D) dated 25th January, 2021 for a period of two years, the Government of India has decided to reconstitute the SCOVA with the following composition.

(a) Minister of State (Personnel, PG & Pensions) :- Chairman

(b) Secretary, Department of Pension & PW :- Convener & Member Secretary

(c) Official Members:-

(i) Representative of Ministry of Finance
(ii) Representative of Ministry of Defence
(iii) Representative of Ministry of Railways
(iv) Representative of Department of Posts
(v) Representative of Department of Telecom
(vi) Representative of Ministry of Health & Family Welfare

(d) Non-official Members (15 Pensioners Associations):-

(i) Standing Group (5 Associations)

S.No	Name of the Pensioners Association
1.	Baroda Central Pensioners Association, Raopura, Shree Apartment, Shanker Pole, Opp. Police Station, Raopura, Vadodara-390001, Gujarat
2.	All India Central Govt. Pensioners' Association, Cuttack, Kanika Square (Chhak), Behind Akshaya Mohanty Park, Tulshipur, Cuttack Odisha
3.	All India Central Govt. Pensioners' Association, Sadashiv Peth, Phadke Sankul , Near Vidhyarthi Griha, Pune Maharashtra
4.	Indian Ex-services League, 9 Nyaya Marg, Chankyapuri, New Delhi-110021
5.	All India Federation of Pensioners' Association, Chennai, G-2, Soundarya, New 51 (Old No. 22), Kavarai Street, West Saidapet, Chennai-600 015, Tamilnadu

Contd/.....

(ii) **Rotating Group (10 Associations)**

S.No	Name of the Pensioners Association
1.	Defence Accounts Pensioners' Association, C/o PCDA (Southern Command) No.1, Finance Road, Pune, Maharashtra-411001
2.	Central Government Pensioners' Welfare (Regd), Jammu Olympic Association Building, Parade, Jammu-180001
3.	Postal Accounts & Audit Pensioners' Association, Teerathroop, 63, Dharampeth Housing Society Layout No-3, Deendayal Nagar, Nagpur, Maharashtra
4.	Ex-Defence Employees Welfare Association, C/o K.C Malik, Bhoisahi (Karanjia), Near KV PO-Balasore, Balasore, Odisha-756001
5.	Jharkhand Pensioners' Welfare Kalyan Samaj, R.No. 101, Block-B, Colleceriate Building, Court Compound, Ranchi-834001, Jharkhand
6.	Retired Railway Employees Association, Jagadhri B-IX/1324, Arya Samaj Mandir, Vishnu Nagar, Jagadhri Workshop, Yamunagar, Haryana
7.	All India Organisation of Pensioners, 120/469, Lajpat Nagar, Kanpur Uttar Pradesh
8.	Coordination Committee of Central Govt. Pensioners' Association, KG Bose Bhaban, 68-B Malanga Lane, Kolkata-700 012,West Bengal
9.	Karnataka Posts and Telecommunications Pensioners' Association, No.165, 4th Main, 3rd Block, 3rd Stage, Basaveshwaranagar, Bengaluru, Karnataka
10.	JIPMER Pensioners Association, 33, 3rd Cross, Mohan Nagar, Puducherry.

2. The term of SCOVA being reconstituted through this Resolution will be of 2 years. The Standing Group members would serve for three terms of two years each (total 6 years) from the date of inclusion in SCOVA or till the pleasure of the Chairman, SCOVA, whichever is earlier. The Rotating Group members would serve for one term of two years from the date of inclusion in SCOVA and would be eligible for re-nomination for one more term or till the pleasure of the Chairman, SCOVA, whichever is earlier.

3. The SCOVA will hold its meeting as often as may be necessary. However, it will meet at least once in a year.

4. The SCOVA will function to promote the following objectives:-

(i) To provide a feedback on implementation of policies/programme of the Department of Pension and Pensioners Welfare.
(ii) To discuss and critically examine the policy initiatives; and
(iii) To mobilise voluntary efforts to supplement the Government action.

Contd/....

5. Travelling Allowance and Daily Allowance to Non-official members for attending the meeting of SCOVA shall be regulated in accordance with the provisions of SR190 and orders of Government of India there under as issued from time to time and this Department's letter no. 42/11/2014-P&PW(G) dated 19.05.2014.

6. The expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Department of Pension & Pensioners Welfare.

(Ravinder Kumar)
Director

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

2. Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

(Ravinder Kumar)
Director

To

The Manager,
Government of India Press.
Mayapuri, New Delhi

Copy to:

1. All SCOVA Members
2. Joint Secretary (EV), Department of Expenditure, Ministry of Finance
3. Joint Secretary(Admn), Department of Financial Services, Ministry of Finance.
4. Joint Secretary, Department of Ex-Servicemen & Welfare, Ministry of Defence
5. Joint Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence.
6. Joint Secretary (CGHS), Ministry of Health & Family Welfare
7. Executive Director (Estt.), Ministry of Railways
8. DDG (Estt.), Department of Posts.
9. DDG (Estt.), Department of Telecommunication.
10. Controller General of Defence Accounts (CGDA)
11. Central Pension Accounting Office (CPAO)

Copy for information to :

1. PS to Minister of State (Personnel, P.G. & Pensions)
2. PSO to Secretary (Pension, AR&PG)
3. Sr. Technical Director, NIC, 3rd floor, Lok Nayak Bhawan - for placing this "Resolution" on this Department's website

28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 20 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संदेय उपदान से सरकारी शोध्यों का समायोजन और वसूली-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 67 सरकारी शोध्यों से संबंधित है, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को संदेय उपदान से समायोजित और वसूल किया जा सकेगा।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 67 के अनुसार, कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा देय सरकारी शोध्य अभिनिश्चित और अवधारित करे। सरकारी शोध्य, जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया है, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से, जब वह संदेय हो जाए, समायोजित किए जाएं।

3. 'सरकारी शोध्य' पद के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :-

(क) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति फीस के बकायों के साथ-साथ नुकसान (आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के बाद सरकारी आवास के अधिभोग के लिए, उप किराएदारी, अप्राधिकृत अधिभोग, अपात्र कार्यालय में स्थानांतरण आदि) और बिजली, पानी, पीएनजी प्रभार, यदि कोई हो, भी है,

(ख) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य से भिन्न शोध्य, अर्थात् गृह निर्माण अथवा सवारी अग्रिम या किसी अन्य अग्रिम का अतिशेष, वेतन और भर्ती का या छुट्टी वेतन का अतिसंदाय और आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन स्रोत पर काटे जाने वाली आय-कर का बकाया।

4. इस नियम में आगे उपबंधित है कि उपनियम(2) में निर्दिष्ट सरकारी शोध्य ही सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को संदेय सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के सापेक्ष समायोजित किए जाएं और अन्य शोध्य जो उपनियम(2) के संदर्भ में सरकारी शोध्य नहीं हैं, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से वसूल नहीं किए जाएं।

5. सभी मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संदेय उपदान से सरकारी शोध्यों की वसूली करने के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु मंत्रालय/विभाग और उनके अधीन संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशनदायी हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No.- 28/91/2022-P&PW(B) (1)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, LokNayakBhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 20th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Adjustment and recovery of Government dues from gratuity payable under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021- reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 67 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with Government dues which can be adjusted and recovered from the gratuity payable to a Government servant under these rules.

2. As per Rule 67 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, it shall be the duty of the Head of Office to ascertain and assess Government dues payable by a Government servant due for retirement on superannuation / retiring otherwise than superannuation/ retired from service. The Government dues which remain outstanding till the date of retirement of the Government servant, shall be adjusted against the amount of the retirement gratuity becoming payable.

3. The Expression 'Government dues' includes

(a) dues pertaining to Government accommodation including arrears of licence fee as well as damages (for the occupation of the Government accommodation beyond the permissible period after the date of retirement of the allottee, subletting, unauthorised occupation, transfer to an ineligible office, etc.) and dues or arrears in respect of electricity, water and PNG charge, if any;

(b) dues other than those pertaining to Government accommodation, namely, balance of house building or conveyance or any other advance, overpayment of pay and allowances or leave salary and arrears of income tax deductible at source under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

4. Rules further provides that only the Government dues as referred to in sub-rule (2) shall be adjusted against the amount of retirement gratuity payable to the retired Government servant and any other dues which are not Government dues in terms of sub- rule (2) shall not be recoverable from the amount of retirement gratuity.

Contd.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding Government dues which can be recovered from Gratuity payable under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 28/91/2022-पी&पीडबल्यू(बी) (2)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 20 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संदेय उपदान में से सरकारी शोध्यों का समायोजन और वसूली करने की प्रक्रिया-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 67 से लेकर 69 सरकारी शोध्यों से संबंधित हैं, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को संदेय उपदान से समायोजित और वसूल किया जा सकेगा और उपदान से सरकारी शोध्यों की वसूली करने के लिए विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

2.1 सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों के समायोजन और वसूली के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 68 के अनुसार, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में, कार्यालयाध्यक्ष से प्रज्ञापना और ब्यौरों की प्राप्ति होने पर, संपदा निदेशालय अपने अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और दो मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को यह सूचना देगा कि सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य है या नहीं। सेवानिवृत्त हुए अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में, यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य थी तो संपदा निदेशालय कार्यालयाध्यक्ष से सूचना और ब्यौरा प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा।

2.2 यदि कार्यालयाध्यक्ष को नियत तारीख तक बकाया अनुज्ञप्ति फीस की वसूली की बाबत कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि आवंटिती से उसकी अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत या अन्य मामलों में सेवानिवृत्ति की तारीख तक कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य नहीं है।

2.3 अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में, कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अगले आठ मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस, अर्थात्, आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के वेतन

और भत्तों में से प्रतिमास वसूल की जाती है। जहां सरकारी कर्मचारी से वसूली योग्य अनुज्ञप्ति फीस की रकम संपदा निदेशालय द्वारा प्रज्ञापित की जाती है वहां कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के चालू वेतन और भत्तों में से किश्तों में वसूल की जाती है और जहां वेतन और भत्तों से पूरी रकम वसूल नहीं की जाती है वहां अतिशेष को उपदान में से उसका संदाय प्राधिकृत करने के पूर्व वसूल किया जाए।

2.4 संपदा निदेशालय आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा और कार्यालयाध्यक्ष उस अनुज्ञप्ति फीस के साथ वसूल न की गयी ऐसी अनुज्ञप्ति फीस का, यदि कोई हो, समायोजन उपदान की रकम में से करेगा।

2.5 यदि किसी विशेष मामले में संपदा निदेशालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है, तो वह निदेशालय कार्यालयाध्यक्ष को सूचना देगा कि उपदान का दस प्रतिशत सूचना दिये जाने तक विधारित रखा जाए।

2.6 अनुज्ञप्ति फीस (जहां संपदा निदेशालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है) के साथ-साथ नुकसान (आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अनुज्ञेय अवधि से अधिक सरकारी आवास के कब्जे के लिए) की वसूली संपदा निदेशालय की जिम्मेदारी होगी और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी, जिसके कब्जे में सरकारी आवास है, को उप-नियम (5) के अधीन विधारित उपदान की रकम का संदाय सरकारी आवास को वास्तव में खाली करने के पश्चात् संपदा निदेशालय से बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर तुरंत किया जाए।

2.7 संपदा निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी आवास को वास्तव में खाली करने की बाद 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन देने की तारीख के चौदह दिनों की अवधि के भीतर सरकारी कर्मचारी को 'बेबाकी प्रमाणपत्र' दिया जाए।

2.8 यदि संपदा निदेशालय आवेदन देने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी नहीं करता है, आवंटिती 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी किए जाने की तारीख तक अथवा 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन देने की तारीख के चौदह दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, उपदान की अधिक विधारित रकम जो आवंटिती द्वारा देय बकाया अनुज्ञप्ति फीस तथा नुकसान, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, पर ब्याज (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित सामान्य भविष्य निधि निक्षेप के लिए लागू दर और रीति के अनुसार) के भुगतान का हकदार होगा।

2.9 सरकारी आवास खाली करने के पश्चात उक्त प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की तारीख से उपदान की अधिक विधारित रकम के प्रतिदाय की तारीख तक, संपदा निदेशालय द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से ब्याज संदेय होगा।

2.10 उप-नियम (5) के अधीन वर्णित उपदान की विधारित रकम, यदि कोई हो, से समायोजन करने के पश्चात् अथवा उप-नियम (5) के अधीन उपदान की कोई रकम विधारित नहीं की गई थी, ऐसी दशा में

अनुज्ञप्ति फीस या नुकसान (अधिभोग/अपाधिकृत कब्जा/उप-किराएदारी/अपात्र कार्यालय को अंतरण आदि के लिए) के आधार पर देय रकम अथवा बिजली, पानी या पीएनजी प्रभार, शेष अदत्त रकम के आधार पर देय रकम की बाबत संपदा निदेशालय द्वारा संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से पेंशनभोगी की सहमति के बिना महंगाई राहत से वसूल करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसे मामले में कोई भी महंगाई राहत तब तक संवितरित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे शोध्यों की पूरी वसूली नहीं हो जाती।

3.1 सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्यों का समायोजन और वसूली के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 69 में उपबंधित है कि कार्यलयाध्यक्ष अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व अथवा सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चले जाने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी पहले हो, और अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्ति होने की दशा में, सेवानिवृत्ति पर तत्काल या जैसे ही सेवानिवृत्ति का तथ्य कार्यालयाध्यक्ष को ज्ञात हो, जो भी पहले हो, शोध्य अवधारित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

3.2 उपरोक्त सरकारी शोध्यों का निर्धारण, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की दशा में, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व, तथा अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्ति होने की दशा में, सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् तीस दिनों के भीतर पूरा किया जाए।

3.3 यथानिर्धारित शोध्यों का, जिसके अंतर्गत वे शोध्य भी हैं जो तदनन्तर जानकारी में आते हैं और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया रहते हैं, समायोजन सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर संदेय सेवानिवृत्ति उपदान में से किया जाएगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संदेय उपदान से सरकारी शोध्यों की वसूली करने के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु मंत्रालय/विभाग और उनके अधीन संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशनदायी हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/91/2022-P&PW(B)(2)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 20th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Procedure for adjustment and recovery of Government dues from gratuity payable under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021- reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rules 67 to 69 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with Government dues which may be adjusted and recovered from the gratuity payable to a Government servant under these rules and the procedure to be followed by the Department for recovery of Government dues from Gratuity.

2.1 As per Rule 68 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 relating to adjustment and recovery of dues pertaining to Government accommodation, in the case of a Government servant who is due for retirement on superannuation, the Directorate of Estates, on receipt of intimation and details from the Head of Office shall scrutinise its records and inform the Head of Office within two months, if any licence fee was recoverable from the Government servant in respect of the period prior to eight months of his retirement. In case the Government servant has retired or is retiring otherwise than on attaining the age of superannuation, the Directorate of Estates shall inform the Head of Office within one month from the date of receipt of intimation from him, if any licence fee was recoverable from the Government servant up to the date of retirement.

2.2 If no intimation in regard to recovery of outstanding licence fee is received by the Head of Office by the stipulated date, it shall be presumed that no licence fee was recoverable from the allottee in respect of the period preceding eight months of the date of his superannuation or up to the date of retirement in other cases.

2.3. In the case of retirement on superannuation, the Head of Office shall ensure that licence fee for the next eight months, that is upto the date of retirement of the allottee, is recovered every month from the pay and allowances of the allottee. Where the Directorate of Estates intimates the amount of licence fee recoverable from the Government servant, the Head of Office shall ensure to recover the same in installments from the current pay and allowances of the allottee and where the entire amount is not recovered from the pay and allowances, the balance shall be recovered out of the gratuity before its payment is authorised.

Contd.

3.1 With respect to adjustment and recovery of dues other than dues pertaining to Government accommodation, rule 69 of the CCS(Pension) Rules, 2021 provides that the Head of Office shall take steps to assess the dues one year before the date on which a Government servant is due to retire on superannuation or on the date on which he proceeds on leave preparatory to retirement, whichever is earlier, in the case of retirement on superannuation and immediately on retirement or when the fact of retirement of the Government servant is known to the Head of Office, whichever is earlier, in the case of retirement otherwise than on superannuation.

3.2 The assessment of aforesaid Government dues shall be completed by the Head of Office eight months prior to the date of the retirement of the Government servant, in the case of retirement on superannuation, and within thirty days after the date of retirement in the case of retirement otherwise than on superannuation.

3.3 The dues as assessed including those dues which come to notice subsequently and which remain outstanding till the date of retirement of the Government servant, shall be adjusted against the amount of retirement gratuity becoming payable to the Government servant on his retirement.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding recovery of Government dues from Gratuity payable under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there under, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations.
(As per standard list)

सं.28/90/2022-पी&पीडवल्यू(बी)/8297(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 20 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 30 के उपनियम(1) के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अर्हक अवधि को फॉर्मेट-4 में उसे संसूचित करेगा।

2. इस नियम में आगे उपबंधित है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम(1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को, सौंपी जाए।

3. यद्यपि इन सांविधिक उपबंधों के बारे में मंत्रालयों/विभागों को बार-बार संसूचित किया जा रहा है, इसके पश्चात भी यह पाया गया कि सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अधीन अपेक्षित अर्हक सेवा को निरपवाद रूप में सूचित नहीं किया जाता है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु कार्यालय अध्यक्ष के संज्ञान में लाएं। यदि कार्यालय अध्यक्ष उपर्युक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, या अर्हक सेवा की गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो कार्यालय अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन किया जाए तथा सांविधिक उपबंधो का अनुपालन न करने की स्थिति में उत्तरदायित्व तय किया जाए।

(एस.चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297 (1)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 20th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Periodic verification of qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and monitoring at the level of Secretary of the administrative Ministry/Department.

The undersigned is directed to say that Sub-rule (1) of Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, provides that on a Government servant completed eighteen years of service and on his being left with five years of service before the date of superannuation, the Head of Office in consultation with Accounts Officer, shall, in accordance with the rules for the time being in force, verify the service rendered by such a Government servant, determine the qualifying service and communicate to him, in Format 4, the period of qualifying service so determined.

2. The rule further provides that a report shall be submitted to the Secretary of the Administrative Ministry/Department by 31st January of each year, giving the details of the Government servants who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous calendar year under sub-rule (1), the details of the Government servants who have actually been issued the said certificate during the said period and the reasons for not issuing the said certificate in the remaining cases.

3. Even though these statutory provisions are being repeatedly communicated to Ministries / Departments, it is noticed that the qualifying service is not invariably communicated to the Government servant required under these rules.

4. All Ministries/Departments are requested to bring these provisions to the notice of Head of Offices for strict compliance. If the Head of Office does not comply with the requirements of the aforesaid rule, or in case any mistake in the calculation of qualifying service is detected later, the Head of Office will be held personally accountable. Therefore, all measures may be taken up to ensure that the aforesaid provisions are followed and fixing of responsibility in case of non-adherence to the statutory provisions.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 20 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय -:ऐसे कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों की बाबत पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों का प्रशासित करता है। इस विभाग ने दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. सं. 57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी) के निर्देशानुसार ऐसे केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। इस का.ज्ञा. के पैरा 7 के अनुसार, उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी, इन निर्देशों की प्रयोज्यता की जांच करने और निर्णय लेने का उत्तरदायी है।

2. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों, जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, पर दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों के लागू होने से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

3. अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर, जो अन्यथा ओपीएस के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं और जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त का.ज्ञा. के लागू होने पर रोक नहीं है। चूंकि, इस मामले में, कर्मचारी पहले ही एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त कर चुका है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए, यदि वह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, उसे एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान और उस पर फायदे को सरकारी कर्मचारी द्वारा ब्याज सहित वापस करना अपेक्षित होगा।

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. 57/03/2022-P&PW(B)/8361 (1)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 20th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Options for inclusion under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) in accordance with DoPPW OM dated 03.03.2023 to those employees who have since been retired from service- reg.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare administers pension related policy matters in respect to Central Government civil employees. This Department has issued instruction vide OM No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 03.03.2023 giving one time option to the Central Government civil employee for inclusion under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021) who has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003. As per para 7 of this OM, it is for the appointing authority of the post against which such option has been exercised to examine and decide applicability of these instructions.

2. References have been received seeking clarification on applicability of aforesaid instructions dated 03.03.2023 to the Central Government employees who have since retired from service before issue of these instructions.

3. It is, therefore, clarified that there is no restriction on applicability of aforesaid OM dated 03.03.2023 to Central Government employees who are otherwise eligible for coverage under OPS and who has already retired from service. Since, in this case, employee has already availed benefits under NPS, the Government contribution and return thereon under the NPS would require to be refunded along with interest thereon by the Government servant in order to avail the benefit under CCS(Pension) Rules, 1972, in case, he is found eligible for coverage under old pension scheme in terms of DoPPW OM dated 03.03.2023.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations.
(As per standard list)

सं.57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(2)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 20 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- ऐसे कर्मचारियों जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय की सेवा से केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त हुए हैं, को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किया जाने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों की बाबत पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों का प्रशासित करता है। इस विभाग ने दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी) के निर्देशानुसार ऐसे केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। इस का.ज्ञा. के पैरा 7 के अनुसार, उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी, इन निर्देशों की प्रयोज्यता की जांच करने और निर्णय लेने का उत्तरदायी है।

2. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर, जो राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों में की गई अपनी पिछली सेवा में इन निर्देशों की शर्तों को पूरा करते हैं और तत्पश्चात, पिछली सेवा से तकनीकी त्यागपत्र देकर 01.01.2004 के बाद, केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती हुए हैं, दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों के लागू होने से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने के लिए संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

3. अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. द्वारा जारी निर्देश केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों पर लागू होते हैं। केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो केंद्र सरकार में किसी पद/सेवा के सापेक्ष नियुक्ति के लिए दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन सम्मिलित किए गए हैं और उचित अनुज्ञा से किसी अन्य केंद्र सरकार की सेवा में चले गए हैं, वे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अधीन प्रशासित होते रहेंगे।

जारी-

4. तथापि, ऐसे कर्मचारी, जो राज्य सरकार/स्वायत निकाय से उचित तकनीकी त्यागपत्र देने के पश्चात 01.01.2004 को या उसके पश्चात केंद्र सरकार की सेवा में चले गए, के मामलों की जांच पिछली सेवा की गणना के मामले के रूप में की जाएगी। अतः, इन मामलों की जांच इस विभाग के दिनांक 28.10.2009 के का.ज्ञा. के अनुसार की जाएगी।

सिद्धेश्वर

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. 57/03/2022-P&PW(B)/8361 (2)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 20th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Inclusion under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) in accordance with DoPPW OM dated 03.03.2023 to those employees who have joined Central Government service on mobility from Central Government/State Government / autonomous body service- reg.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare administers pension related policy matters in respect to Central Government civil employees. This Department has issued instruction vide OM No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 03.03.2023 giving one time option to the Central Government civil employee for inclusion under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021) who has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003. As per para 7 of this OM, it is for the appointing authority of the post against which such option has been exercised to examine and decide applicability of these instructions.

2. References have been received seeking clarification on applicability of aforesaid instructions dated 03.03.2023 to the Central Government employees who fulfils conditions of these instructions in their previous service rendered in State Government / autonomous bodies and thereafter joined Central Government service on or after 01.01.2004 after submitting technical resignation from previous service.

3. It is, therefore, clarified that the instructions issued vide OM dated 03.03.2023 are applicable to Central Government civil employees. Central Government employees who are included under CCS(Pension) Rules, 1972 in terms of OM dated 03.03.2023 for their appointment against any post / service in Central Government and moved to another Central Government service through proper channel would continue to be governed under the CCS(Pension) Rules, 1972.

4. However, the case of employee of the State Government / autonomous body moved to Central Government service on or after 01.01.2004 after tendering technical resignation from their previous service would examined as a case of counting of past service on mobility to Central Government service on or after 01.01.2004. Therefore, these cases would be examined in terms of this Department's OM dated 28.10.2009.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

फा. सं. 21/05/2023-पी&पीडब्ल्यू(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 20 -10- 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मास्टर परिपत्र - अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी/आहरण के उपबंधों का उदारीकरण।

इस विभाग ने सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 से संबंधित समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। अब बेहतर जानकारी और मार्गदर्शन के लिए, इन निर्देशों को एक स्थान पर समेकित करने का निर्णय लिया गया है, जोकि निम्नानुसार है:

2. **अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से निकासी**

2.1 इन नियमों के उपबंधों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सामान्य भविष्य निधि से निकासी की अनुमति दी जाए:

I. शिक्षा- सभी स्ट्रीम और संस्थानों को कवर करते हुए, इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, सभी को सम्मिलित किया जाएगा,
II. अनिवार्य व्यय अर्थात सगाई, विवाह, अंत्येष्टि, या स्वयं या परिवार के सदस्यों और आश्रितों के अन्य समारोह,
III. स्वयं, परिवार के सदस्यों या आश्रितों की बीमारी
IV. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद.

2.2. बारह मास तक का वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई, जो भी कम हो, की निकासी की अनुमति है। तथापि, बीमारी के लिए, अभिदाता के खाते में जमा राशि का 90% तक की निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। अभिदाता दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद निकासी की मांग कर सकता है।

2.3 (i) आवास जिसमें निवास के लिए उपयुक्त गृह का निर्माण करना या खरीदना या रहने के लिए तैयार फ्लैट खरीदना सम्मिलित है,

(ii) बकाया आवास ऋण का पुनर्भुगतान,

(iii) गृह बनाने के लिए जमीन की खरीद,

(iv) अधिग्रहित स्थान पर गृह निर्माण,

(v) पहले से अर्जित गृह का पुनर्निर्माण या उसमें कुछ परिवर्धन,

(vi) पैतृक गृह का नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन करना।

उपरोक्त प्रयोजनों के लिए, अभिदाता को अपने खाते में जमा राशि का नब्बे प्रतिशत तक निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि मौजूदा निदेशों को खत्म कर दिया जाए, जिसमें कहा गया था कि उस गृह की बिक्री के पश्चात जिसके लिए जीपीएफ निकासी की गई थी, आहरित राशि वापस जमा करनी होगी। आवास प्रयोजन के लिए जीपीएफ निकासी अब एचबीए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से नहीं जुड़ी होगी। अभिदाता को उसकी सेवा के दौरान किसी भी समय इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकेगी।

2.4 (i) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर आदि की खरीद या इस प्रयोजन के लिए पहले से लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान,
(ii) मोटर कार की व्यापक मरम्मत/ओवरहालिंग;
(iii) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर, मोपेड आदि बुक करने के लिए डिपॉज़िट।

अभिदाता को, उपरोक्त प्रयोजनों के लिए क्रेडिट पर जमा राशि का तीन-चौथाई हिस्सा या वाहन की लागत, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी जा सकेगी। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद उपरोक्त प्रयोजन के लिए निकासी की अनुमति दी जा सकेगी।

2.5 अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षिता से दो वर्ष पूर्व, बिना कारण बताए शेष राशि के 90% तक की निकासी की अनुमति है।

2.6 अभिदाता द्वारा निधि से निकासी के सभी मामलों में, विभाग का घोषित अध्यक्ष निकासी की मंजूरी देने के लिए सक्षम है। अभिदाता को कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभिदाता द्वारा निकासी के कारणों का उल्लेख करने वाला एक सरल घोषणा पत्र पर्याप्त होगा।

2.7 सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार, आहारित राशि की मंजूरी और भुगतान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः, निधि से निकासी के लिए, मंजूरी और भुगतान के लिए अधिकतम समय-सीमा पंद्रह दिन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। आपातस्थिति जैसे बीमारी आदि के मामले में, समय-सीमा सात दिनों तक सीमित हो सकती है।

<u>पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/का.ज्ञा. सं.3/2/2017-पी&पीडब्ल्यू(एफ)(ii)/ दिनांक 07-03-2017</u>

3. **अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण**

3.1 अब नियमों के उपबंधों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 से अग्रिम राशि लेने की अनुमति दी जाए:

(i) स्वयं, परिवार के सदस्यों या आश्रितों की बीमारी,

(ii) अभिदाता के परिवार के सदस्यों या आश्रितों की शिक्षा। शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल होगी, जिसमें सभी स्ट्रीम और शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे।

(iii) अनिवार्य व्यय अर्थात सगाई, विवाह, अंत्येष्टि, या अन्य समारोह,

(iv) कानूनी कार्यवाही की लागत,

(v) रक्षा लागत,

(vi) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद,

(vii) तीर्थयात्रा और प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा। इसमें यात्रा और पर्यटन संबंधी कोई भी गतिविधियां सम्मिलित होंगी।

3.2 अग्रिम की सीमा को 12 महीनों के वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई, जो भी कम हो, तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अग्रिम राशि की वसूली अधिकतम 60 किश्तों में की जायेगी। अग्रिम राशि घोषित कार्यालय प्रमुख द्वारा संस्वीकृत की जा सकेगी।

3.3 ऊपर कवर न किए गए कारणों के लिए, निधि से अग्रिम राशि मंजूर करने हेतु घोषित विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है।

3.4 निधि से अग्रिम की मंजूरी और भुगतान के लिए अधिकतम पंद्रह दिन की समय-सीमा निर्धारित की जा रही है। बीमारी आदि जैसी आपातस्थिति के मामले में, समय-सीमा सात दिनों तक सीमित होगी।

3.5 अग्रिम के उपरोक्त सभी मामलों में, अभिदाता को कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अभिदाता द्वारा अग्रिम भुगतान के कारणों को बताने वाली एक साधारण घोषणा पर्याप्त होगी।

<u>पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/का.ज्ञा. सं.3/2/2017-पी&पी डब्ल्यू(एफ)(i)/ दिनांक 07-03-2017</u>

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन निदेशों/दिशानिर्देशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)
भारत सरकार के अवर सचिव

प्रतिलिपि: भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

F.No. 21/05/2023-P&PW(F)
Government of India
Ministry Of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi,
Dated: 20 -10- 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Master circular-Liberalization of provisions for withdrawal/ drawal of advance from the General Provident Fund by the subscribers.**

This Department has issued various instructions from time to time regarding General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960. It is now decided to consolidate these instructions at one place for better understanding and guidance, as under:

2. Withdrawals from the General Provident Fund by the subscribers

2.1. The provisions in the rules have been reviewed and it has been decided to permit withdrawals from the General Provident Fund by the subscriber for the following purposes:

i. Education- This will include primary, secondary and higher education, covering all streams and institutions,
ii. Obligatory Expenses viz. betrothal, marriage, funerals, or other ceremonies of self or family members and dependants,
iii. Illness of self, family members or dependants,
iv. Purchase of consumer durables.

2.2. Withdrawal of upto twelve months pay or three-fourth of the amount standing at credit, whichever is less, is permitted. However, for illness, the withdrawal may be allowed upto 90% of the amount standing at credit of the subscriber. A subscriber may seek withdrawal after completion of ten years of service.

2.3 (i) Housing including building or acquiring a suitable house or a ready built flat for his residence,
(ii) Repayment of outstanding housing loan,
(iii) Purchase of house site for building a house,
(iv) Constructing a house on a site acquired,
(v) Reconstructing or making additions on a house already acquired,
(vi) Renovating, additions or alterations of ancestral house.

A subscriber may be allowed to withdraw upto ninety percent of the amount standing at credit for the above purposes. It is also decided do away with the present instructions which lay

down that subsequent to the sale of house for which GPF withdrawal has been availed, the amount withdrawn has to be deposited back. GPF withdrawal for housing purpose will no longer be linked with the limits prescribed under HBA rules. A subscriber may be permitted to avail the facility at any time during his service.

2.4 (i) Purchase of motor car/motor cycle/ scooter etc. or repayment of loan already taken for the purpose,
(ii) Extensive repairs/overhauling of motor car,
(iii) Making deposit to book a motor car/motor cycle/scooter, moped etc.

A subscriber may be permitted to withdraw three-fourth of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever is less for the above purposes. Withdrawal for the above purpose will be permitted after completion of 10 years of service.

2.5 Withdrawal of upto 90% of balance without assigning reasons is allowed for Government servants who are due for retirement on superannuation upto two years before superannuation.

2.6 In all cases of withdrawal from the fund by the subscriber, the declared Head of Department is competent to sanction withdrawal. No documentary proof will be required to be furnished by the subscriber. A simple declaration form by the subscriber explaining the reasons for withdrawal would be sufficient.

2.7 As per the GPF(CS) Rules, 1960, no time limit has been prescribed for sanction and payment of withdrawal amount. Therefore, it has been decided to prescribe a maximum time limit of fifteen days for sanction and payment of withdrawal from the Fund. In case of emergencies like illness etc., the time limit maybe restricted to seven days.

DoPPW OM No. 3/2/2017-P&PW(F)(ii) dated 07-03-2017

3. Drawal of Advance from the General Provident Funds by the subscribers

3.1 The provisions in the rules have now been reviewed and it has been decided to permit the subscriber to prefer an advance from General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 for the following purposes:

(i) Illness of self, family members or dependents,
(ii) Education of family members or dependent of the subscriber. Education will include primary, secondary and higher education, covering all streams and educational institutions,
(iii) Obligatory Expenses viz. betrothal, marriage, funerals, or other ceremonies,
(iv) Cost of Legal proceedings,
(v) Cost of defence,
(vi) Purchase of consumer durables,
(vii) Pilgrimage and visiting places of eminence. This will include any travel and tourism related activities.

3.2 It has been decided to enhance the limit of advance upto 12 months of pay or three-fourth of the amount at credit, whichever is less. Amount of advance will be recoverable in a maximum of 60 installments. The advance may be sanctioned by the declared Head of Office.

3.3 The declared Head of Department is competent to sanction an advance from the fund for reasons not covered above.

3.4 Maximum time limit of fifteen days is being prescribed for sanction and payment of an advance from the Fund. In case of emergencies like illness etc., the time limit maybe restricted to seven days.

3.5 In all the above cases of advance, no documentary proof is required to be furnished by the subscriber. A simple declaration by the subscriber explaining the reasons for advance would be sufficient.

DoPPW OM No. 3/2/2017-P&PW(F)(i) dated 07-03-2017

4. All Ministries/Departments are requested to bring the instructions/guidelines to the notice of all concerned.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Government of India

Copy to: All Ministries/Department of the Govt. of India.

सं. 42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशनमंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 27 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - दिनांक 01.07.2023 से संशोधित दर लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 06.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को, दिनांक 01 जुलाई, 2023 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन भी है) के 42% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 46% कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी, जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2002-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. मंहगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

4. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को अभिशासित करने वाले अन्य उपबंध, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 और इस विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा. सं.45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी) में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे। जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, न्याय विभाग द्वारा आवश्यक आदेश, पृथक रूप से जारी किए जाएंगे।

6. प्रत्येक पृथक मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों का होगा।

7. महालेखाकार कार्यालय और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528 टीए, II/34 – 80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958 जीए 64 (ii) (सीजीएल)/ 81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय का प्रबंध करें।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

9. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 20.10.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/4/2023 ई II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(संजीव नारायण माथुर)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ

No. 42/04/2023-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 27th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2023.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 06.04.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **42% to 46%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st July,2023.**

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/4/2023-E.II(B) dated 20.10.2023

Hindi version will follow.

20-10-2023

(Sanjiv Narain Mathur)
Additional Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2 Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021)के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था, जिसकी नियुक्ति ऐसे पद या रिक्ति के सापेक्ष हुई थी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में विकल्प प्रयोग करने की प्रक्रिया हेतु विभिन्न कार्यकलापों, नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने तथा संबंधित सरकारी सेवकों के एनपीएस खाते को बंद करने के लिए कट-ऑफ तारीखें दी गई हैं।

3. नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के सेवकों से प्राप्त विकल्पों पर नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की कट-ऑफ तारीख को बढ़ाकर दिनांक 30.11.2023 तक किया जाए।

4. इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(एस.चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, सूचनार्थ
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
7. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाईट पर डालने हेतु।

No. 57/05/2021-P&PW(B)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

Subject: Inclusion of Central Government employees recruited against the posts/vacancies advertised/ notified prior to 22.12.2003, under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021)- reg.

Undersigned is directed to refer to this Department's O.M of even No. dated 03.03.2023 providing one-time option to Central Government employee for inclusion under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) in place of National Pension System who has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003,

2. The said Office Memorandum provides for cut off dates for various activities involved in the process of exercising of option, deciding representations by appointing authorities and closure of NPS accounts of the concerned Government servants.

3. In view of request received for extension of time limit for taking decision by the appointing authority, it has been decided to extend the cut-off date for taking decision by the appointing authority on the options received from Central Government employees till 30.11.2023.

4. There would be no change in the other terms and conditions mentioned in this Department's O.M. dated 03.03.2023.

5. Hindi version will follow.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. AD (OL) for Hindi version.
8. NIC for uploading on Department's website.

सं.04/07/2020-पी&पीडबल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 6 दिसंबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) की मंजूरी - संबंधी।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय है (i) जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित किसी भी तदनुरूप स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं और (ii) जो सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। पेंशन संवितरण प्राधिकरणों/बैंकों द्वारा पेंशनभोगियों को एफएमए उनकी मासिक पेंशन के साथ संवितरित किया जाता है।

2. एफएमए ऐसे सेवानिवृत्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय है, जिन्हें अशक्तता/नि:शक्तता के कारण पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी दी गई है और मृतक एनपीएस कर्मचारियों के कुटुंब के सदस्यों को, जिन्हें सेवा के दौरान एनपीएस कर्मचारी की मृत्यु होने पर पुरानी पेंशन योजना के अनुसार कुटुंब पेंशन की मंजूरी दी गई है। ऐसे मामलों में एफएमए की मंजूरी इसके लिए सामान्य शर्तें पूरी करने के अध्यधीन है।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 28 मार्च, 2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एस.11011/10/2012-सीजीएचएस(पी)/ईएचएस द्वारा आदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा एनपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधा विस्तारित की गई, यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :

(i) सेवानिवृत्ति के पश्चात सीजीएचएस सदस्यता की पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा वर्ष-10 वर्ष

(ii) मृत्यु/नि:शक्तता होने की दशा में, सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा वर्ष नहीं हैं।

(iii) स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय में आमेलन होने की दशा में, एनपीएस अंशदाता अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात सीजीएचएस का लाभ तभी उठा सकते हैं, यदि स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, जहां वे आमेलित हुए हैं, अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कवर किया गया हो, जो कि उपरोक्त शर्त (i) के अध्यधीन है।

(iv) स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय में प्रतिनियुक्ति की दशा में, प्रतिनियुक्ति की ऐसी अवधि के दौरान सीजीएचएस कवरेज नहीं होगा, जब तक कि जिस इकाई में कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया है, सीजीएचएस द्वारा कवर न हो।

(v) उपर्युक्त (iii) और (iv) शर्तों के अध्यधीन सेवारत एनपीएस अंशदाताओं के लिए यथापूर्व स्थिति रखी जाए।

(vi) अन्य शर्तें जैसे कुटुंब की परिभाषा, सीजीएचएस अंशदान, आश्रितता की शर्तें आदि मौजूदा

नियमों के अनुसार लागू होंगी।

4. एनपीएस से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एफएमए मंजूर करने के मामले पर व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक कार्यालय)सीजीए (और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मचारी, जो अन्यथा उपरोक्त पैरा 3 में उल्लिखित सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाने की शर्तों को पूरा करते हैं, पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगियों की दशा में लागू दरों पर एफएमए मंजूरी के पात्र होंगे, यदि वे सीजीएचएस के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में निवास करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं। तदनुसार, ऐसे सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिक जो सीजीएचएस सुविधा के पात्र हैं, किंतु सीजीएचएस के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में निवास करते हैं, लागू दर के अनुसार एफएमए के हकदार होंगे, यदि वे किसी सीजीएचएस सुविधा का लाभ नहीं उठाते या सीजीएचएस के अंतर्गत केवल आईपीडी सुविधा का लाभ उठाते हों।

5. सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिकों को एफएमए संस्वीकृत करने की कार्य-रीतियों पर लेखा महानियंत्रक(सीजीए) के कार्यालय के परामर्श से विचार किया गया है और सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिकों को एफएमए संस्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

(i) सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित प्ररूप/दस्तावेज तीन प्रतियों में कार्यालय अध्यक्ष(एचओओ) को प्रस्तुत करेगा :

(क) फोटोग्राफ की दो प्रतियां, नमूना हस्ताक्षर और पहचान चिह्नों सहित निर्धारित फॉरमैट(एफएमए फॉर्म एन-1) में आवेदन-सह-वचनबंध।

(ख) निर्धारित फॉरमैट [केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का प्ररूप-2 (उन नियमों के नियम 10(3) में संदर्भित) में कुटुंब के ब्यौरे।]

(ग) निर्धारित फॉरमैट(प्ररूप एन-1) में अति संदाय की वसूली के लिए बैंक को वचनबंध।

(घ) निर्धारित फॉरमैट(एफएमए प्ररूप एन-2) में एफएमए के बकाया भुगतान के लिए नामनिर्देशन प्ररूप।

(ii) कार्यालय अध्यक्ष आवेदन की संवीक्षा करेगा और अपेक्षित जांच करेगा। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को एफएमए के संदाय की पात्रता के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और अनुदेशों का अनुपालन करने के पश्चात, कार्यालय अध्यक्ष एफएमए मामले को उप-पैरा (क) से (घ) में संदर्भित प्ररूपों/दस्तावेजों की दो प्रतियों सहित एफएमए संदाय प्राधिकार जारी करने के लिए वेतन और लेखा अधिकारी को भेजेगा। कार्यालय अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित प्ररूपों/दस्तावेजों प्रत्येक की एक प्रति अपने पास रखेगा। कार्यालय अध्यक्ष भावी संदर्भों के लिए ऐसे सभी मामलों से संबंधित फाइलें, रजिस्टर और रिकॉर्ड अपने पास रखेगा।

(iii) वेतन और लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच करेगा और एफएमए संदाय प्राधिकार तैयार करेगा। वेतन और लेखा अधिकारी एफएमए प्राधिकार जारी करेगा और इसे उप पैरा (क) से (घ) में उल्लिखित प्ररूपों/दस्तावेजों की एक प्रति तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उसे भेजे गए अग्रेषण पत्र की प्रति के साथ केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ) को भेजेगा। एफएमए प्राधिकार में पति/पत्नी/कुटुंब के सदस्य का नाम सम्मिलित होगा जो सेवानिवृत्त

एनपीएस कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में एफएमए के लिए पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए, कुटुंब को एफएमए मंजूर करने की पात्रता की शर्तें वही होंगी जो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन के मामले में हैं। वेतन और लेखा अधिकारी एफएमए संदाय प्राधिकार की प्रति कार्यालय अध्यक्ष के साथ-साथ सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिक/लाभार्थी को भी पृष्ठांकित करेगा। वेतन और लेखा अधिकारी भावी संदर्भों के लिए ऐसे सभी मामलों से संबंधित फाइलें, रजिस्टर और रिकॉर्ड अपने पास रखेगा।

(iv) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ऐसे सभी मामलों का डेटा व्यक्तिगत रूप से फीड करेगा और वेतन एवं लेखा अधिकारी से प्राप्त सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी अपने डेटा बेस में रखेगा। अपेक्षित जांच करने के पश्चात, सीपीएओ विशेष सील प्राधिकार(एसएसए) तैयार करेगा और इसे वेतन एवं लेखा अधिकारी से प्राप्त सभी प्ररूपों के साथ और उप-पैरा (क) से (घ) में उल्लिखित सभी प्ररूपों के साथ लाभार्थी को एफएमए के भुगतान के लिए प्राधिकृत बैंक के संबंधित केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र(सीपीपीसी) को भेजेगा। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय पीएओ और लाभार्थी को प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(v) प्राधिकृत बैंक का केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र(सीपीपीसी), सीपीएओ से एफएमए के भुगतान के लिए विशेष सील प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात, केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 द्वारा शासित सेवानिवृत्त कार्मिकों की बाबत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर एफएमए की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक आधार पर जमा करेगा। एफएमए का संदाय स्वचालित होगा और लाभार्थी द्वारा कोई बिल जमा करना अपेक्षित नहीं है। सीपीपीसी, सीपीएओ द्वारा जारी एफएमए के संदाय के लिए विशेष सील प्राधिकार और इस विषय पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश में उल्लिखित अनुदेशों का सख्ती से पालन करेगा। सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मचारियों और उनके कुटुंब को संवितरित एफएमए की रकम की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा मौजूदा प्रणाली के अनुसार बैंकों को की जाएगी।

(vi) लाभार्थी द्वारा एफएमए से सीजीएचएस(ओपीडी) सुविधा में अपना विकल्प परिवर्तित करने की दशा में, समय-समय पर संशोधित, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक 23.03.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/05/2019-पी&पीडब्लू(डी) में निहित निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।

(vii) सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिक/लाभार्थी के पास एफएमए को अपने बचत बैंक खाते में जमा करवाने या संबंधित प्राधिकृत बैंक की किसी भी सीबीएस सक्षम शाखा में खोले गए खाते(या तो उनके नाम पर एकल खाता या उनके कुटुंब के सदस्य जिसके पक्ष में एफएमए संदाय प्राधिकार में एफएमए के लिए प्राधिकार मौजूद है) के साथ संयुक्त खाता, में से किसी एक में जमा करवाने का विकल्प है और इसे 'पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी' या 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' के आधार पर संचालित किया जा सकता है। सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिक/लाभार्थी जिसके पक्ष में एफएमए संस्वीकृत किया गया है, संयुक्त खाते में प्राथमिक खाताधारक होना चाहिए।

(viii) एनआरआई लाभार्थी को एफएमए के संदाय, बीमार एवं शारीरिक रूप से नि:शक्त लाभार्थी को बैंक खाता खोलने और एफएमए आहरित करने की सुविधा के लिए, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी 'प्राधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को

पेंशन के संदाय की योजना' (5वां संस्करण) के पैरा संख्या 16 और 17 में निर्धारित प्रक्रियाओं/अनुदेशों का अनुसरण किया जाए।

(ix) एफएमए के संदाय के लिए एक शाखा/बैंक से दूसरे में खाते के अंतरण के लिए, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी 'प्राधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के संदाय की योजना'(5वां संस्करण) के पैरा 15 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

(x) एफएमए के संदाय करने के पश्चात, वर्तमान में, सीपीपीसी, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी 'प्राधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के संदाय की योजना' के 5वें संस्करण में निहित प्रक्रिया/अनुदेशों का अनुसरण करेगा, ताकि प्रतिपूर्ति, लेखा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव और अपेक्षित सीमा तक कार्य किया जा सके। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थी को एफएमए के संदाय के लिए अनुदेश तैयार किए जाएं और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा सीपीपीसी को सम्यक प्रक्रिया से जारी किए जाएं।

(xi) एफएमए आहरित करने वाला व्यक्ति, एफएमए जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह में संबंधित बैंक में जीवन प्रमाणपत्र(डिजिटल या भौतिक) जमा करेगा। जनवरी से देय एफएमए का संदाय तभी किया जाएगा जब सेवानिवृत्त व्यक्ति ने विगत नवंबर माह में देय जीवन प्रमाणपत्र जमा कर दिया हो।

(xii) सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिक के कुटुंब का सदस्य, सेवानिवृत्त एनपीएस कार्मिक/एफएमए लाभार्थी की मृत्यु के बारे में यथाशीघ्र तथा मृत्यु की तारीख से एक माह के भीतर सूचित करेगा, ताकि सीपीपीसी द्वारा एफएमए का संदाय रोक दिया जाए। लाभार्थी की मृत्यु होने पर, अंतिम संदाय के बाद मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए आनुपातिक एफएमए अगले लाभार्थी/नामनिर्देशिती को संदत्त होगा।

(xiii) एफएमए लाभार्थी की मृत्यु होने पर, यदि एफएमए के लिए पात्र पति/पत्नी/कुटुंब के सदस्य का नाम एफएमए संदाय प्राधिकार में उल्लिखित है, तो पति/पत्नी/कुटुंब का सदस्य एफएमए के संवितरण के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र सहित बैंक को आवेदन पत्र देगा। बैंक तदनुसार उन्हें एफएमए का संवितरण करना शुरू करेगा। यदि एफएमए के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य का नाम एफएमए प्राधिकार में उल्लिखित नहीं है, तो एफएमए लाभार्थी की मृत्यु होने पर, कुटुंब का सदस्य एक नया एफएमए प्राधिकार जारी करने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र सहित कार्यालय अध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात, कुटुंब के सदस्य के पक्ष में एक नया एफएमए प्राधिकार जारी करने के लिए एफएमए प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुटुंब के सदस्य की पात्रता के बारे में कार्यालय अध्यक्ष का समाधान करना और एफएमए प्राधिकार जारी करने के लिए मामला पीएओ को भेजना सम्मिलित होगा। कुटुंब को एफएमए मंजूर करने के लिए पात्रता की शर्तें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन के यथावत होंगी।

(xiv) सेवारत कर्मचारी की मृत्यु होने पर, यदि कुटुंब एनपीएस के अंतर्गत एकमुश्त राशि और/या वार्षिकी के लाभ का हकदार है, तो कुटुंब के सदस्य के पक्ष में कुटुंब पेंशन के लिए पीपीओ जारी करने के लिए लागू प्रक्रिया मृतक एनपीएस कर्मचारी कुटुंब के पात्र सदस्य के पक्ष में एफएमए प्राधिकार जारी करने के लिए अपनाई जाए।

(xv) बैंक निम्नलिखित रीति से तिमाही आधार पर एफएमए का संदाय करेगा:

- दिसंबर से फरवरी तक के महीनों के लिए - मार्च के पहले सप्ताह में
- मार्च से मई तक के महीनों के लिए - जून के पहले सप्ताह में
- जून से अगस्त तक के महीनों के लिए - सितंबर के पहले सप्ताह में
- सितंबर से नवंबर तक के महीनों के लिए - दिसंबर के पहले सप्ताह में

सितंबर से नवंबर तक के महीनों के लिए एफएमए का संदाय दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाए और एफएमए के सभी बाद के संदाय नवंबर माह में देय जीवन प्रमाणपत्र(डिजिटल या भौतिक) जमा करने के अध्यधीन होंगे।

(xvi) सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मचारियों और उनके कुटुंबों को संवितरित एफएमए की राशि सरकार द्वारा मौजूदा प्रणाली के अनुसार बैंकों को संवितरित की जाएगी।

(xvii) एफएमए प्राधिकार में बैंक/कुटुंब/नामनिर्देशिती का ब्यौरा सम्मिलित होगा, जिसका उपयोग वेतन आदि के किसी भी बकाया के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जो वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन या किसी अन्य कारण से कर्मचारी को देय हो सकता है।

(xviii) एफएमए भुगतान करने वाले प्राधिकृत बैंकों के सीपीपीसी में रखे गए सभी एफएमए भुगतान, खाता, रिकॉर्ड और रजिस्टर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑडिट के लिए उपलब्ध रहेंगे। सीएजी द्वारा ऑडिट के अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय एफएमए भुगतान के संबंध में प्राधिकृत बैंकों के सीपीपीसी का ऑडिट भी करेगा।

(xix) **मौजूदा प्रक्रिया ऐसे पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को एफएमए के संदाय के लिए है** जो केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 द्वारा शासित हैं और केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमों के अधीन अशक्तता या नि:शक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(xx) **जैसा कि सीजीए ने सूचित किया है, एफएमए के लिए** भुगतान उसी लेखा शीर्ष से और उसी प्रकार किया जाए जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। एफएमए बुकिंग के लिए व्यय हेतु, निम्नलिखित लेखा शीर्ष का उपयोग किया जाए :-

2071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ
2071.01-	सिविल
2071.01.101	अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते
2071.01.101.01	साधारण पेंशन
2071.01.101.01.00.04	अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते, साधारण पेंशन
2071.01.101.04	साधारण पेंशन(अखिल भारतीय सेवा)
2071.01.101.04.00.04	अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते, साधारण पेंशन(अखिल भारतीय सेवा)
2071.01.101.05	नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस) साधारण पेंशन (अशक्त पेंशन) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/नि:शक्तता पर अतिरिक्त राहत

2071.01.101.05.00.04	नई परिभाषित अंशदान योजना(एनपीएस) साधारण पेंशन (अशक्त पेंशन) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/नि:शक्तता पर अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता, अतिरिक्त राहत।
2071.01.101.02.00.04	कुटुंब पेंशन

6. ये आदेश इस आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

8. ये आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 07.12.2022 के आई.डी. नोट संख्या 18(2)/ई.वी./2021 द्वारा जारी किए जाते हैं।

9. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

संलग्नक : यथोक्त

(रविन्द्र कुमार)
निदेशक

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सीएजी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4. रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
7. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
8. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप एन-1

(सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने के पश्चात केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रसुविधा या नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ उठाने हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सेवानिवृत्त/कुटुंब पेंशनभोगी के लिए)

1.	मैं निम्नलिखित पते पर निवास करता हूं/करूंगा :-			आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
	फ्लैट/मकान नंबर और स्ट्रीट/अवस्थान			
	गांव एवं डाकघर		नगर एवं जिला	
	राज्य		पिन कोड	
2.	अर्हक सेवा वर्षों की सं.			
3.	**मैं निम्नलिखित प्रसुविधा के लिए विकल्प देता हूं(नीचे लागू कॉलम में से किसी एक को चिन्हित करें)**			
	(i) मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र के भीतर निवास करुंगा और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लूंगा।			
	(ii) मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र के भीतर निवास करुंगा किंतु केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि मैं नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) के लिए पात्र नहीं होऊंगा।			
	(iii) मैं गैर-केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र में निवास करुंगा किंतु अंतरंग रोगी विभाग(आईपीडी) और बहिरंग रोगी विभाग(ओपीडी) उपचार के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लूंगा। मैं नियत चिकित्सा भत्ता के लिए पात्र नहीं होऊंगा।			
	(iv) मैं गैर-केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र में निवास करुंगा किंतु केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदानों का संदाय करके आईपीडी उपचार के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा का लाभ लूंगा। मैं ओपीडी उपचार के लिए नियत चिकित्सा भत्ता का भी लाभ लूंगा।			
	(v) मैं गैर-केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र में निवास करुंगा और आईपीडी उपचार तथा ओपीडी उपचार दोनों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा का लाभ नहीं लूंगा। मैं नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ लूंगा।			
	(vi) मैं अपने पति/पत्नी/कुटुंब सदस्य, जो सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय का कर्मचारी है/पेंशनभोगी है, को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लूंगा। मै केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ नहीं लूंगा।			
	(vii) मैं पूर्व संगठन की चिकित्सा सुविधा का लाभ लूंगा। मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ नहीं लूंगा।			
	टिप्पण :- नियमों के अनुसार यह मेरा एक बार का विकल्प परिवर्तन है और यह मेरे द्वारा दिए गए पिछले विकल्प को अधिक्रमित करता है। मैं समझता हूं कि मैं इस विकल्प में पुनः परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा(यदि लागू न हो तो इस मद को काट दें)			

ब्यौरा :

सेवानिवृत्त होने वाले/कुटुंब पेंशनभोगी का नाम :	
कुटुंब पेंशनभोगी होने की दशा में, मृतक पेंशनभोगी का नाम	
पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	
कार्यालय पता	
वर्तमान आवासीय पता	
बैंक खता सं.	
बैंक का पता(शाखा का नाम)	
आईएफएससी कोड	

वचनबंध

मैं, _____ (सेवानिवृत्त कर्मचारी)*/[मृतक कर्मचारी का कुटुंब पेंशनभोगी_____ (कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में मृतक कर्मचारी का नाम लिखें)]* जो _____कार्यालय में काम कर रहा था(कार्यालय का पूरा पता) यह घोषणा करता हूं कि मैं _____में निवास करता हूं जो सीजीएचएस या मंत्रालय/विभाग (यथास्थिति)_____ द्वारा प्रशासित किसी तदनुरूप स्वास्थ्य योजना के दायरे में नहीं आता है। मैंने आस-पास के क्षेत्र में स्थित किसी भी अन्य डिस्पेंसरी से मंत्रालय/विभाग की सीजीएचएस/तदनुरूप स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आउटडोर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कोई सीजीएचएस कार्ड प्राप्त नहीं किया है और न ही प्राप्त करना चाहता हूं।

नोट: * जो लागू न हो उसे काट दें

स्थान :-

दिनांक :-

(कार्यालय अध्यक्ष का हस्ताक्षर)

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्ररूप 2

कुटुंब के ब्यौरे

[केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 10(3) देखें]

महत्वपूर्ण

1. सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेजों सहित संसूचित किए जाएं और स्तम्भ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में अभिलिखित किया जाए, मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाला अभिदाता सेवानिवृत्ति के समय कुटुंब के ब्यौरे दोबारा प्रस्तुत करेगा।

2. पति या पत्नी, सभी बालक और माता-पिता(चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं) तथा नि:शक्त सहोदरों(भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिये जा सकेंगे।

3. कार्यालय अध्यक्ष "टिप्पणियां" स्तम्भ में कुटुंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा। नि:शक्तता या कुटुंब सदस्य की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन संबंधी तथ्य को भी "टिप्पणियां" स्तम्भ में उपदर्शित किया जाए।

4. पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

5. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तारीख 4 नवंबर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(23)-पी&पीडब्ल्यू/91-ई के अधीन विहित प्रोफार्मा में सेवानिवृत्ति के पश्चात् कुटुंब संरचना में परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।

6. जन्म प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की जाएं। कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, तो उनकी प्रतियां भी संलग्न की जाए।

सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का नाम	पदनाम	राष्ट्रीयता

कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे:

क्र.सं.	नाम (कृपया भरने से पूर्व नीचे दी गई टिप्पणियों को देखें)	जन्मतिथि दिन/मास/वर्ष	आधार सं.* (वैकल्पिक)	सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता के साथ नातेदारी	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियां	कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और तारीख
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

मैं ..... कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अदद्यतन रखने का एतदद्वारा वचन देता हूँ।

ई-मेल:(वैकल्पिक)..... स्थान .....

मोबाइल:(वैकल्पिक)..... तारीख.....

(हस्ताक्षर)

**आधार सं. देना वैकल्पिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो इसे केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई, समझा जाएगा।*

फॉरमैट एन-1

अति संदाय की वसूली के लिए बैंक को वचनबंध
(सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा दिया जाए)

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

_____(बैंक का नाम)

_____(शाखा व पता)

महोदय/महोदया,

आपके बैंक के माध्यम से खाता संख्या_____ के अधीन नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) का संदाय।

मेरे अनुरोध पर, आपके पास मेरे खाते में प्रतिमास जमा करके मुझे नियत चिकित्सा भत्ते का संदाय करने के लिए सहमत होने पर, मैं, अधोहस्ताक्षरी, घोषणा करता हूं कि यदि मेरे आवासीय पते की स्थिति में परिवर्तन होता है, अर्थात गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में, तो मैं आपको तत्काल सूचित करूंगा।

मैं किसी ऐसी रकम जिसका मैं हकदार नहीं हूं या कोई ऐसी रकम जो मेरे खाते में उस रकम से जिसका मैं हकदार हूं या होगा, अधिक जमा की गई हो, को वापस करने या उसकी पूर्ति करने के लिए सहमत हूं और इसका वचन देता हूं।

इसके अलावा मैं, एतद्द्वारा, अपने और अपने वारिसों, उत्तराधिकारी, निष्पादकों और प्रशासकों से आबद्ध करने के लिए इस योजना के अंतर्गत मेरी नियत चिकित्सा भत्ते(एफएमए) को मेरे खाते में जमा करने में बैंक को हुई किसी भी हानि से और उसके विरूद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए और उसे बैंक को तत्काल भुगतान करने के लिए और बैंक को मेरे उक्त खाते या बैंक के कब्जे में मेरे किसी अन्य खाते/जमा राशि को डेबिट करके देय राशि की वसूली के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करने के लिए सहमत हूं और इसका वचन देता हूं।

भवदीय

(सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

साक्षी

(1) हस्ताक्षर
नाम :-
पता :-
दिनांक :-

(2) हस्ताक्षर
नाम :-
पता :-
दिनांक :-

नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप एन-2

नियत चिकित्सा भत्ता के बकायों का संदाय करने के लिए नामनिर्देशन प्ररूप)
(केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 द्वारा शासित सरकारी कर्मचारी के लिए)

मैं,..... नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को, एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता हूं और मेरी मृत्यु होने की दशा में उसे/उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक नियत चिकित्सा भत्ता की बकाया रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ:

नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी/ पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है,तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तम्भ (1) के अधीन नामनिर्देशिती की कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, आनुकल्पिक नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि, नातेदारी और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो स्तम्भ (5) में आनुकल्पिक नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

ये नामनिर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नामनिर्देशनों को अधिक्रांत करेंगे।

स्थान :

तारीख :

सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

दूरभाष/मोबाइल सं.

टिप्पण : 1 उन फ़ायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नामनिर्देशन आशयित नहीं है।

टिप्पण: 2 सरकारी कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित न किया जा सके।

टिप्पण: 3 पूर्ण रकम के अंश के अंतर्गत नामनिर्देशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिर्देशिती(यों) को संदेय सारी रकम आ जानी चाहिए।

तारीख ..... को नियत चिकित्सा भत्ता के बकायों के संदाय के लिए नामनिर्देशन प्राप्त किए:-

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... द्वारा किया गया

पदनाम .....

कार्यालय.....

कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित

प्राप्ति की तारीख .....

प्राप्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त जानकारी को भरेगा और सम्यक रूप से भरे प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्राप्त करने वाला अधिकारी इस प्ररूप के दोनों पृष्ठों पर अपने दिनांकित हस्ताक्षर करेगा।

******

No. 04/07/2020-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Dated :- 06th December, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Grant of Fixed Medical Allowance (FMA) to Pensioners/Family Pensioners covered under National Pension System-reg

In accordance with the existing instructions, **Fixed Medical Allowance (FMA)** is admissible to the Central Government civil pensioners/family pensioners (i) residing in areas not covered under Central Government Health Scheme or any corresponding Health Scheme administered by other Ministries/Departments and (ii) not availing OPD facility under CGHS. FMA is disbursed to the pensioners by the Pension Disbursing Authorities/Banks along with their monthly pension.

2. FMA is also admissible to retired **National Pension System** (NPS) employees who are granted pension under Old Pension Scheme on account of invalidation/disability and to the family members of deceased NPS employees, who are granted family pension as per the Old Pension Scheme on death of NPS employee during service. Grant of FMA in such cases is subject to fulfilment of the usual conditions therefor.

3. Ministry of Health and Family Welfare issued orders vide O.M. No S.11011/10/2012-CGHS(P)/EHS dated 28th March, 2017 extending the CGHS facility to Government servants who retire under NPS, if they fulfil the following conditions:

(i) Minimum years of qualifying service for eligibility of CGHS membership after retirement-10 years
(ii) No minimum qualifying years of service for availing CGHS facilities in case of death/disability.
(iii) In case of absorption in an Autonomous Body/Statutory Body, NPS subscribers can avail CGHS after their retirement only if the Autonomous Body/Statutory Body, where they are absorbed, is covered for their retired employees, subject to condition (i) above.
(iv) In case of deputation to an Autonomous Body/Statutory Body, no CGHS coverage till such period of deputation continues unless the entity to which the employee has been transferred on deputation is covered by CGHS.
(v) Status quo to be maintained for serving NPS subscribers subject to conditions at (iii) and (iv) above.
(vi) Other conditions such as definition of family, CGHS contribution, conditions of dependency etc. will be applicable as per the existing rules.

4. The matter regarding grant of FMA to the employees who retire from NPS has been considered in consultation with the Department of Expenditure, Office of Controller General of Accounts (CGA) and Ministry of Health & Family Welfare. It has now been decided that such retired NPS employees, who otherwise fulfil the conditions for availing CGHS facility as mentioned in para 3 above, shall be eligible for grant of FMA on the same rates as in the case of pensioners drawing pension under Old Pension Scheme, if they are residing outside CGHS area and do not avail OPD facility under CGHS after retirement. Accordingly, those NPS retirees who are eligible for CGHS facility but are residing outside CGHS area shall be entitled to FMA as per the applicable rate, if they do not avail any CGHS facility or avail only the IPD facility under CGHS.

5. The modalities for sanctioning FMA to NPS retirees have been considered in consultation with the office of Controller General of Accounts (CGA) and the following procedure is laid down for sanction of FMA to the NPS retirees:

(i) The retiring Government servant shall submit the following forms/documents in triplicate to the Head of Office (HOO):

(a) Application-cum-undertaking in prescribed format (FMA Form N-1) along with two copies of photograph, specimen signature and identification marks.

(b) Details of family in prescribed format [Form-2 of CCS (Implementation of National Pension System) Rules, 2021. (Referred to in Rule 10 (3) of those Rules)].

(c) Undertaking addressed to bank for recovery of overpayment in prescribed format (Format N-1).

(d) Nomination Form for payment of Arrears of FMA in prescribed format (FMA Form N-2).

(ii) The Head of Office, shall scrutinise the application and apply the necessary checks. After complying with the rules and instructions issued by the Government of India regarding eligibility for payment of FMA to the retired Government Servant, the HOO shall forward the FMA case along-with two sets of forms/documents referred to in sub-para (a) to (d) above to the Pay & Accounts Officer for issue of FMA payment authority. The Head of Office shall retain one set of each of the Forms/documents mentioned above. The Head of Office will maintain the files, registers and records relating to all such cases for future requirements.

(iii) The PAO shall apply the necessary checks and prepare FMA Payment Authority. The PAO will issue the FMA authority and send it to the Central Pension Accounting Office (CPAO) along with one set of forms documents mentioned in sub-para (a) to (d) above and the copy of the forwarding letter sent to him by HOO. The FMA authority shall include the name of spouse/family member who would be eligible for FMA in the event of death of the retired NPS employee. For this purpose, the eligibility conditions for grant of FMA to the family would be the same as in the case of family pension under CCS (Pension) Rules. The Pay & Accounts Officer will endorse copy of FMA Payment Authority to the Head of Office as well as NPS retiree/beneficiary. The Pay & Accounts Officer will maintain the files, registers and records relating to all such cases for future requirements.

(iv) The Central Pension Accounting Office will feed the data of all such cases individually and also keep scanned copies of all documents received from Pay & Accounts Officer in its data base. After, carrying out necessary checks, CPAO will prepare Special Seal Authority (SSA) and send the same along with all the Forms received from Pay & Accounts Officer and mentioned in sub-para (a) to (d) above to the concerned Central Pension Processing Centre (CPPC) of the Authorised Bank for payment of FMA to the beneficiary. The Central Pension Accounting Office will endorse the copy to the PAO & beneficiary.

(v) The Central Pension Processing Centre (CPPC) of the Authorised bank, after receiving the Special Seal Authority for payment of FMA from CPAO, will credit the amount of FMA, at the rate notified from time to time by the Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions in respect of retirees governed by CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021, in the bank account of the beneficiary on monthly basis. The payment of FMA will be automatic and no bill is required to be submitted by the beneficiary. The CPPC will strictly follow the instructions mentioned in the Special Seal Authority for Payment of FMA issued by the CPAO and any other orders issued by the Government on the subject. The amount of FMA disbursed to the retired NPS employees and their families will be reimbursed by the Government to the banks as per the existing system.

(vi) In the case of change in option by the beneficiary from FMA to CGHS (OPD) facility, the instructions contained in the Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions' OM No. 4/05/2019-P&PW(D) dated 23.03.2022 as amended from time to time will be followed.

(vii) NPS retiree/beneficiary has option for getting FMA credited in their savings bank account opened or to be opened with any of the CBS enabled branch of concerned authorized bank (either single account in their name or joint account with member of their family in whose favour an authorization for FMA exists in the FMA Payment Authority) and operated either by "former or survivor" or "either or survivor" basis. The NPS retiree/beneficiary in whose favour FMA has been sanctioned should be the primary account holder in the joint account.

(viii) For payment of FMA to NRI beneficiary, opening of bank account and facility for withdrawal of FMA to sick and physically handicapped beneficiary, the procedures/instructions laid down in the Para Nos. 16 & 17 respectively of the 'Scheme for Payment of Pensions to Central Government Civil Pensioners by Authorized Banks' (5th Edition) issued by Central Pension Accounting Office shall be followed.

(ix) For transfer of account from one branch/bank to another for payment of FMA, the procedure laid down in Para 15 of the 'Scheme for Payment of Pensions to Central Government Civil Pensioners by Authorized Banks' (5th Edition) issued by Central Pension Accounting Office shall be followed.

(x) After making payment of FMA, the CPPC, for the present, shall follow the procedure/instructions contained in 5th Edition of "Payment of Pensions to Central Government Civil Pensioners by Authorised Banks" issued by Central Pension Accounting Office, for reimbursement, accounting and submission of reports to the extent feasible and required. Further, instructions for payment of FMA to the beneficiary under National Pension System will be formulated and issued by the Central Pension Accounting office to CPPC's in due course.

(xi) The person drawing FMA shall submit life certificate (Digital or physical) every year in November in the concerned bank for continuing the FMA. The payment of FMA due in following January onwards will be made only after the retiree has submitted the life certificate due in preceding November.

(xii) The member of family of NPS retiree will intimate about the death of NPS retiree/FMA beneficiary at the earliest and not later than one month after the date of death so that the Payment of FMA is stopped by the CPPC. On death of a beneficiary, pro-rata FMA for the period after the last payment up to the date of death shall be paid to the next beneficiary/nominee.

(xiii) On the death of FMA beneficiary, if the name of the spouse/family member eligible for FMA is mentioned in the FMA Payment Authority, the spouse/family member will apply to the bank along with the Death Certificate for disbursement of FMA to him/her. The bank will accordingly start disbursement of FMA to him/her. If the name of family member eligible for FMA is not mentioned in the FMA authority, then, on death of an FMA beneficiary, the member of the family shall apply to the Head of the Office along with death certificate for issue of a fresh FMA authority. Thereafter, the exercise as for issuing an FMA authority shall be followed for issuing a fresh FMA authority in favour of the family member. This will, inter-alia, include satisfying of HOO about eligibility of the family member and forwarding case to PAO for issue of FMA authority. PAO, after exercising necessary checks will issue authority and send case to CPAO for making payment through CPPC. The eligibility conditions for grant of FMA to the family would be same as in case of family pension under CCS (Pension) Rules, 2021.

(xiv) On death of a serving employee, if the family is entitled to benefits of lump-sum and/or annuity under NPS, the procedure applicable for issuing PPO for family pension in favour of a family member would be adopted for issuing FMA authority in favour of eligible family member of deceased NPS employee.

(xv) The Bank shall make payment of FMA on quarterly basis in the following manner:

- For the months of December to February – In the first week of March
- For the months of March to May – In the first week of June
- For the months of June to August – In the first week of September
- For the months of September to November – In the first week of December

The payment of FMA to be made in the first week of December for the months of September to November and all subsequent payments of FMA will be subject to submission of life certificate (Digital or Physical) due in the month of November

(xvi) The amount of FMA disbursed to the retired NPS employees and their families will be disbursed by the Government to the banks as per the existing system.

(xvii) The FMA authority shall include the details of the Bank/Family/Nominee which may be utilised for payment of any arrears of the pay, etc., which may become due to the employee on account of implementation of recommendation of Pay Commission or any other reason.

(xviii) The FMA payments, Account, Records and Registers maintained in the CPPC of Authorised Banks making FMA payments shall be open to audit by the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by Government in this regard. In addition to audit by C&AG, the Internal Audit Wing, Central Pension Accounting Office will also conduct audit of CPPCs of Authorised Banks in respect of FMA payments.

(xix) The existing procedure is for payment of FMA to those Pensioners/Family Pensioners who are governed by CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021 and are in receipt of invalid or disability pension/family pension under CCS(Pension) Rules will continue.

(xx) As informed by CGA, payments towards FMA may be done through same Head of Account and on the same lines as being done presently. The expenditure for booking FMA, following Head of Account will be used:-

2071	Pensions and other Retirement Benefits
2071.01-	Civil
2071.01.101	Superannuation and Retirement Allowances
2071.01.101.01	Ordinary Pensions
2071.01.101.01.00.04	Superannuation and Retirement Allowances, Ordinary Pension
2071.01.101.04	Ordinary Pensions (AIS)
2071.01.101.04.00.04	Superannuation and Retirement Allowances, Ordinary Pension (AIS)
2071.01.101.05	Additional Relief on Death/Disability of Government Servants Covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Ordinary Pensions (Invalid Pension)
2071.01.101.05.00.04	Superannuation and Retirement Allowances, Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Scheme (NPS) Ordinary Pension (Invalid Pension)
2071.01.101.02.00.04	Family Pension

6. These orders will take effect from the date of issue of order.

7. All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders.

8. These orders issue with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their I.D. Note No. 18(2)/EV/2021 dated 07.12.2022.

9. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India."

10. Hindi version will follow.

Encl: as above

(Ravinder Kumar) 6/12/23
Director

To

1. All Central Govt. Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
8. AD(OL) for Hindi version.
9. NIC for posting on the website of this Department.

FMA FORM N-1

(For NPS Retiree/Family Pensioner availing Medical Facilities under Central Government Health Scheme or Fixed Medical Allowance after Retirement/Death)

<table>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td colspan="3">I reside/will be residing at the following address:-</td><td rowspan="2">Passport size photo of the Applicant</td></tr>
<tr><td>Flat/House No. and Street/Locality</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Village & PO</td><td></td><td>City & District</td><td></td></tr>
<tr><td>State</td><td></td><td>Pin Code</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">No. of years of qualifying service</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="4">I opt the following facility (tick any one in the column applicable below)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(i) I will be residing in CGHS area and would be availing CGHS Facility.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(ii) I will be residing in a CGHS area but would not be availing CGHS Facility. I understand that I will not be eligible for Fixed Medical Allowance (FMA)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(iii) I will be residing in non-CGHS area but would be availing CGHS facility for In-patient Department (IPD) and Out-patient Department (OPD) treatment. I will not be eligible for FMA.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(iv) I will be residing in a non-CGHS area but would be availing CGHS facility for IPD treatment only by payment of CGHS contributions. I will also avail FMA for OPD treatment.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(v) I will be residing in a non-CGHS area and would not be availing CGHS facility for both IPD treatment and OPD treatment. I will avail FMA.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(vi). I will avail medical facilities available to spouse/family member who is an employee/pensioner of Government/PSU/Autonomous Body. I will not avail CGHS facility and FMA.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(vii). Avail medical facility of previous organisation. I will not avail CGHS facility and FMA</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Note:- This is my one time change in option as provided in the Rules and it supersedes the earlier option given by me. I understand that I shall not be able to change this option again (Strike out this item if not applicable)</td></tr>
</table>

Details:

Name of the retiring employee/family pensioner:	
In case of Family Pensioner, give Name of Deceased Pensioner	
Relationship with Pensioner	
Office Address	
Present Residential Address	
Bank Account No.	
Bank Address (Branch Name)	
IFSC Code	

Undertaking

I, _____ (a retired employee)*/[family pensioner of the deceased employee _____(write name of deceased employee in case of family pensioner)]* who was working in the office_____(Complete Office Address) declare that I am residing at _____ which area is not covered under CGHS or any corresponding health Scheme administered by the Ministry/Department _____ (as the case may be). I also have not obtained nor wish to obtain any CGHS card for availing outdoor facilities under CGHS/Corresponding Health Scheme of the other Ministry/Department from any dispensary situated in the adjoining area.

Note: * Strike out whichever is not applicable

Place:-
Date:-

(Signature of Head of Office)

(Signature of Applicant)

FORM 2

Details of Family

[See rule 10(3) of CCS (Implementation of National Pension System) Rules, 2021]

Important

1. The original Form submitted by the Government servant/ Subscriber is to be retained. All additions or alterations are to be communicated by the Government servant/retired Government servant /Subscriber alongwith the supporting documents and the changes shall be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Subscriber should submit the details of family afresh at the time of retirement.

2. The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

3. The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

4. Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

5. The retired Government servant shall attach the details of change in family structure after retirement in the proforma prescribed under Dept. of P.& P.W., O.M No. 1 (23)-P.&PW/91-E, dated the 4th November, 1992.

6. Copies of birth certificates to be attached. Copies of any other relevant certificates, if available, should be attached.

Name of the Government Servant/Subscriber	Designation	Nationality

Details of Family Members:

S.No	Name (Please see notes below before filling)	Date of Birth (DD/MM/ YYYY)	Aadhaar No. * (Optional)	Relationship with Govt. servant/retired Government servant/ subscriber	Marital Status	Remarks	Dated Signature of Head of Office
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

Email: (Optional) _____ Place _____

Mobile: (Optional) _____ Date _____

_____

(Signature)

** Providing Aadhaar No. is optional. However, if it is provided, consent to link it to Bank Account and also for authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.*

Format N-1

UNDERTAKING TO BANK FOR RECOVERY OF OVERPAYMENT
(To be given by the Government Servant/Pensioner)

To

The Branch Manager

_____ (Bank Name)

_____(Branch & Address)

Sir/Madam,

Payment of Fixed Medical Allowance (FMA) under A/c No. _____ through your Bank.

In consideration of your having, at my request, agreed to make payment of Fixed Medical Allowance due to me every month by credit to my account with your Bank. I, the undersigned declare that I will inform you immediately in case there is change in the status of my residential address i.e from Non-CGHS Covered Area to a CGHS Covered Area.

I agree and undertake to refund or make good any amount to which I am not entitled or any amount which may be credited to my account in excess of the amount to which I am or would be entitled.

I further hereby undertake and agree to bind myself and my heirs, successor, executors and administrators to indemnify the bank from and against any loss, suffered or incurred by the bank in so crediting my Fixed Medical Allowance (FMA) to my account under the scheme and to forthwith pay the same to the bank and also irrevocably authorise the bank to recover the amount due by debit to my said account or any other account/deposits belonging to me in the possession of the bank.

Yours faithfully

(Signature of Govt. Servant/Pensioner)

Name:

Address:

Witnesses

(1) Signature
Name:-
Address:-

Date:-

(2) Signature:
Name:
Address:

Date

FMA FORM N-2

(Nomination Form for payment of arrears of Fixed Medical Allowance)
(For Government Servant governed by CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021)

I,..... hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below amount of the arrear of Fixed Medical Allowance:

Name, Date of Birth (DoB) and address of the nominee	Relationship with employee/ pensioners	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and Address of person who may receive the amount of behalf of minor	Name, DoB, Relationship and Address of alternate nominee in case of the nominee under Col (1) predeceases the employee/pensioner	Share to be paid to each	Name and Address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col.(5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place:
Date:

Signature of Government Servant/Pensioner

Telephone/Mobile No

Note1:- Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made.

Note2:- The government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed.

Note 3:- The nominee(s) /alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

Received the nominations dated..... for payment of arrears of Fixed Medical Allowance :-

made by Shri/Smt/Kumari.....
Designation.....
Office.....

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt.....

The receiving officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his /her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form.

*****

सं. 42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 28 दिसंबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग श्रृंखला में मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को दिनांक 01.07.2023 से लागू महंगाई राहत की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 06.07.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग श्रृंखला में मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को **दिनांक 01.07.2023** से निम्नलिखित रीति से बढ़ाया जाएगा:-

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो दिनांक 18.11.1960 तथा 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा दिनांक 4 जून 2013 से समूह क, ख, ग और घ के लिए क्रमश: 3000/- रू, 1000/- रू, 750/- रू और 650/- रू की दर से मूल अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं, **दिनांक 01.07.2023** से मूल अनुग्रह राशि के **412%** से मूल अनुग्रह राशि के **427%** तक संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(ii) निम्नलिखित श्रेणियों के सीपीएफ लाभार्थी **दिनांक 01.07.2023** से मूल अनुग्रह राशि के **404%** से मूल अनुग्रह राशि के **419%** तक संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे:-

(क) दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए दिवंगत सीपीएफ लाभार्थी या दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवा में रहते हुए दिवंगत होने वाले सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र आश्रित संतानें दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा दिनांक 4 जून 2013 से 645/- रू. प्रतिमाह की दर पर संशोधित अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं।

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ़ लाभ सहित सेवानिवृत्त हुए थे, और जिन्हें 654/- रूपए, 659/- रूपए, 703/- रूपए और 965/- रूपए की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में यदि रूपए का कोई भाग हो, तो उसे अगले उच्चतर रूपए में पूर्णांकित कर दिया जाए।

3. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

4. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात् जारी किए जाते हैं।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 06 नवंबर, 2023 के का.ज्ञा.सं.1/3(2)/2008-ई.II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

रविंद्र

(रविंद्र कुमार)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/ सीपीपीसी।
4. भारत के सी&एजी, यूपीएससी, इत्यादि मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ।

No. 42/04/2023-P&PW (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Dated 28th December, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.07.2023 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM 42/04/2023-P&PW(D) dated 06.07.2023 and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to the CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment in the 5th CPC series shall be enhanced **w.e.f 01.07.2023** in the following manner :-

(i) The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 and 31.12.1985, and are entitled to basic ex-gratia @ Rs.3000, Rs.1000, Rs.750 & Rs.650 for Group A, B, C & D respectively w.e.f 4th June,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dtd. 27th June, 2013 shall now be entitled to enhanced Dearness Relief from **412%** of the basic ex-gratia to **427%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.07.2023.**

(ii) The following categories of CPF beneficiaries shall be entitled to enhanced Dearness Relief from **404%** of the basic ex-gratia to **419%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.07.2023**:-

(a) The widows and eligible dependent children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 01.01.1986 or who had died while in service prior to 01.01.1986 and are entitled to revised ex-gratia @ Rs.645/-p.m w.e.f 04 June, 2013 vide OM No 1/10/2012-P&PW(E) dated 27th June,2013.

(b) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs.659/-, Rs.703/- and Rs.965/-.

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

3. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

4. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

5. This issues in pursuance of Ministry of Finance. Department of Expenditure's OM No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 06th Nov, 2023.

6. Hindi version will follow.

(Ravinder Kumar)
Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं.1/1(1)/2023-पी&पीडबल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
****

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 में संशोधन- वैवाहिक कलह के कारण अदालत में तलाक की कार्यवाही दायर करने या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी मामले को दायर करने की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों/महिला पेंशनभोगी को कुटुंब पेंशन के लिए अपने पति से पूर्व अपने बच्चे/बच्चों को नामनिर्देशित करने की अनुमति देना-संबंधी।

****

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 के उप-नियम(8) और उप-नियम(9) के उपबंधों के अनुसार, यदि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का उत्तरजीवी पति/पत्नी हो, तो कुटुंब पेंशन सबसे पहले उसके पति/पत्नी को दी जाती है तथा बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य, अपने क्रमवार, कुटुंब पेंशन के लिए उस दशा में पात्र हो जाते हैं, जब मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का पति/पत्नी कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए।

2. इस विभाग को मंत्रालयों/विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें यह सलाह मांगी जा रही है कि क्या वैवाहिक कलह के कारण अदालत में तलाक की कार्यवाही दायर करने या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी मामले को दायर करने की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों/महिला पेंशनभोगी को कुटुंब पेंशन के लिए अपने पति से पूर्व अपने बच्चे/बच्चों को नामनिर्देशित करने की अनुमति दी जा सकती है।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की गई है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी की बाबत तलाक की कार्यवाही अदालत में लंबित है, या महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अधीन अपने पति के विरुद्ध मामला दायर किया है, तो ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी अपनी मृत्यु के बाद, अपने पति से पूर्व अपने पात्र बच्चे/बच्चों को कुटुंब पेंशन देने का अनुरोध कर सकती है और ऐसे अनुरोध पर निम्नलिखित रीति से विचार किया जा सकता है:

(क) जहां, किसी महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी की बाबत, तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में लंबित है, या महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अधीन अपने पति के विरुद्ध मामला दायर किया है, तो उक्त महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी, संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को लिखित रूप में इस आशय का अनुरोध कर सकती है कि, उपरोक्त किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में, कुटुंब पेंशन उसके पति से पूर्व उसके पात्र बच्चे/बच्चों को मंजूर की जाए;

(ख) उपरोक्त किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खंड(क) के अधीन अनुरोध करने वाली महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में, कुटुंब पेंशन निम्नलिखित रीति से संवितरित की जाए, अर्थात्:

(i) जहां मृतक महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी का उत्तरजीवी विधुर हो और महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी की मृत्यु होने की तारीख पर कोई बच्चा/बच्चे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है, तो विधुर को कुटुंब पेंशन देय होगी।

(ii) जहां मृतक महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी का उत्तरजीवी विधुर हो और उसके साथ अवयस्क बच्चा/बच्चे हों या मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या नि:शक्तता से ग्रस्त कोई बच्चा/बच्चे हों, तो मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन विधुर को देय होगी, बशर्ते वह ऐसे बच्चे/बच्चों का संरक्षक हो और यदि विधुर ऐसे बच्चे/बच्चों का संरक्षक नहीं बना रहता, तो ऐसी कुटुंब पेंशन उस बच्चे को, उस व्यक्ति के माध्यम से देय होगी जो ऐसे बच्चे/बच्चों का वस्तुत: संरक्षक हो। जहां अवयस्क बच्चा वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् कुटुंब पेंशन के लिए पात्र रहता है, ऐसे बच्चे को उसके वयस्कता की आयु प्राप्त करने की तारीख से कुटुंब पेंशन देय हो जाएगी।

(iii) जहां मृतक महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी के उत्तरजीवी विधुर के साथ बच्चा/बच्चे हैं, जो वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है या हैं, तो कुटुंब पेंशन ऐसे बच्चे/बच्चों को देय होगी।

(iv) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 के अधीन उपरोक्त खंड(ii) और (iii) में उल्लिखित बच्चे/बच्चों की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त होने के पश्चात्, कुटुंब पेंशन अन्य बच्चे/बच्चों को, जो कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो, यदि कोई हो, को देय हो जाएगी।

(v) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए सभी बच्चों की पात्रता समाप्त होने के पश्चात्, ऐसी कुटुंब पेंशन विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय हो जाएगी।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस आदेश की विषयवस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा अधिकारियों और उनके अधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के संज्ञान में लाएं।

5. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथा अधिदेशित ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

6. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 में औपचारिक संशोधन पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

रविंद्र कुमार

(रविंद्र कुमार)
निदेशक

सेवा में

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सी&एजी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
5. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
6. एनआईसी, इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

No.1/1(1)/2023-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension and Pensioners' Welfare
****

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 1st January, 2024

Office Memorandum

Subject: Amendment to CCS (Pension) Rules, 2021 – Allowing female Government servants/female Pensioner to nominate her child/children for family pension in precedence to her husband in the event of marital discord leading to filing of divorce proceedings in a Court of Law or filing of a case under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or Indian Penal Code- reg.

****

The undersigned is directed to state that, as per the provisions of sub-rule (8) and sub-rule (9) of Rule 50 of CCS (Pension) Rules, 2021, if a deceased Government servant or pensioner is survived by a spouse, family pension is first granted to the spouse and the children and other family members become eligible for family pension, on their turn, only after the spouse of the deceased Government servant/pensioner becomes ineligible for family pension or dies.

2. This Department has been receiving a large number of references from Ministries/Departments, seeking advice as to whether a female Government servant/female Pensioner can be allowed to nominate her eligible child/children for family pension in place of her spouse in the event of marital discord leading to filing of divorce proceedings in a Court of Law or filing of a case under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code.

3. The matter has been examined in consultation with Ministry of Women and Child Development. Accordingly, it has been decided that in case divorce proceedings in respect of a female Government servant/female pensioner are pending in a Court of Law, or the female Government servant/female pensioner has filed a case against her husband under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code, such female Government servant/Female Pensioner may make a request for grant of family pension after her death to her eligible child/children, in precedence to her husband and such request may be considered in the following manner:

(a) Where, in respect of a female Government servant/female pensioner, divorce proceedings are pending in a competent Court of Law, or the female Government servant/female pensioner has filed a case against her husband under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code, the said female Government servant/female pensioner, may make a request in writing to the concerned Head of Office to the effect that, in the event of her death during the pendency of any of the aforesaid proceedings, family pension may be granted to her eligible child/children in precedence to her spouse;

(b) In the event of the death of the female Government servant/female pensioner, who had made a request under clause (a), during the pendency of any of the aforesaid proceedings, the family pension shall be disbursed in the following manner, namely:

(i) Where the deceased female Government servant/female pensioner is survived by a widower and no child/children is eligible for family pension on the date of death of the female Government servant/female pensioner, family pension shall be payable to the widower.

(ii) Where the deceased female Government servant/female pensioner is survived by a widower with a minor child/children or a child/children suffering from disorder or disability of mind including the mentally retarded, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the widower, provided he is the guardian of such child/children and if the widower ceases to be the guardian of such child/children, such family pension shall be payable to the child through the person who is the actual guardian of such child/children. Where the minor child, after attaining the age of majority, remains eligible for family pension, the family pension shall become payable to such child from the date on which he/she attains the age of majority.

(iii) Where the deceased female Government servant/female pensioner is survived by a widower with a child/children who has/have attained the age of majority but is or are eligible for family pension, the family pension shall be payable to such child/children.

(iv) After the child/children referred to in clause (ii) and (iii) above cease to be eligible for family pension under Rule 50 of the CCS (Pension) Rules, 2021, family pension shall become payable to other child/children, if any, eligible for family pension.

(v) After all the children cease to be eligible for family pension under Rule 50 of the CCS (Pension) Rules, 2021, family pension shall become payable to the widower till his death or remarriage, whichever is earlier.

4. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this order to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached, Subordinate Offices and Autonomous bodies under them.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

6. Formal amendment to Rule 50 of the CCS (Pension) Rules, 2021 will be notified separately.

7. Hindi version will follow.

(Ravinder Kumar) 1/1/24
Director

To

1. All Central Government Ministries/Departments
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bhahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
5. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
6. AD (OL) for Hindi version.
7. NIC for posting on the website of this Department.

सं.1/2/2022(जेसीएम)-पी&पीडबल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
******

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 15 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पेंशन अदालतों का आयोजन- मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/पेंशन संवितरण बैंकों की वेबसाइट पर पेंशन अदालतों का कैलेंडर प्रदर्शित करना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग ने दिनांक 18.11.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा मंत्रालयों/विभागों/पेंशन संवितरण बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि पेंशन अदालतों के आयोजन संबंधी कैलेंडर उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाए।

2. अपर सचिव(डीओपीटी) की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2023 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति(जेसीएम) की बैठक में, कर्मचारी पक्ष(जेसीएम) ने उल्लेख किया कि मंत्रालयों/विभागों/संगठन की वेबसाइटों पर पेंशन अदालतों के आयोजन संबंधी कैलेंडर प्रदर्शित नहीं किए जा रहे हैं।

3. तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/पेंशन संवितरण बैंकों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 25.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन अदालतों के आयोजन संबंधी कैलेंडर उनकी संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित किए जाने की फिर से सलाह दी जाती है। यह भी सलाह दी जाती है कि पेंशन अदालत के दौरान निवारण के लिए जिन पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की शिकायतों को उठाया जाता है, उन्हें भी इस संबंध में पेंशन अदालत की तारीख से पूर्व अग्रिम सूचना(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार) दी जाए।

हस्ता/-
(आशुतोष कुमार अग्रवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी पेंशन संवितरण बैंक

No. 1/2/2022(JCM)-P&PW(E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
******

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Dated 15th January, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- **Holding of Pension Adalat- Display of Calendar of Pension Adalats on the website of Ministries/Departments/Organisations/Pension Disbursing Banks-reg.**

The undersigned is directed to refer to subject cited above and to say that this Department vide OM of even no. dated 18.11.2022 had advised Ministries/ Departments/ Pension Disbursing Banks to ensure that the calendar for holding Pension Adalats be displayed on their websites.

2. In the meeting of Standing Committee of National Council (JCM) held on 15.12.2023 under the Chairmanship of Additional Secretary (DoPT), the Staff Side (JCM) mentioned that calendar for holding of Pension Adalats are not being displayed by Ministries/Departments/ Organizations on their websites.

3. Accordingly, all Ministries/Departments/Organisations/ Pension Disbursing Banks are again advised that calendar for holding of Pension Adalats in accordance with the guidelines issued by DoPPW vide OM dated 25.03.2011 (copy enclosed) be displayed on their respective websites. It is also advised that Pensioners/Family Pensioners whose grievances are taken up for redressal during the Pension Adalat may also be given advance intimation (as per DoPPW guidelines) well before the date of Pension Adalat in this regard.

Encl: As above

(Ashutosh Kumar Agrawal)
Under Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Departments of Government of India
2. All Pension Disbursing Banks

सं. 42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 13 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.01.2024 से लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27.10.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को, **दिनांक 01 जनवरी, 2024** से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन भी है) के **46% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 50%** कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी, जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2002-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी)द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. मंहगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाए।

4. महंगाई राहत के बकाया का संदाय पेंशन/कुटुंब पेंशन के संवितरण की तारीख मार्च, 2024 से पहले नहीं किया जाए।

5. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को अभिशासित करने वाले अन्य उपबंध, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 में निहित उपबंधों और इस विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा.सं.45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी) के अनुसार विनियमित होंगे। जहां कोई पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन आहरित कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

6. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

7. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

8. महालेखाकार कार्यालय और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528 टीए, II/34-80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958 जीए 64 (ii) (सीजीएल)/ 81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय का प्रबंध करें।

9. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

10. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 12.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1/2024-ई-II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

रविन्द्र

(रविन्द्र कुमार)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ।

No. 42/02/2024-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date :- 13th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2024-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 27.10.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **46% to 50%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st January,2024.**

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of March, 2024.

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

Contd/....

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2024-E-II (B) dated 12.03.2024.

Hindi version will follow.

(Ravinder Kumar) 13/3/24
Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2 Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं. 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी)/8860

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 09.04.2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: ऐसे कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों की बाबत पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों को प्रशासित करता है। इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा.सं. 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी) के निर्देशानुसार ऐसा केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी जो उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के अनुसार, उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी, इन निर्देशों की प्रयोज्यता की जांच करने और निर्णय लेने का उत्तरदायी है।

2. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी पर, जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के संबंध में दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा.सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(1) द्वारा निर्देश जारी किए गए थे।

3. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, पर दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों को लागू करने से संबंधित अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे थे। तदनुसार, इन मामलों से निपटने के लिए निम्नलिखित एफ़एक्यू जारी किए जा रहे हैं:

क्रम सं.	जिन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की टिप्पणियां
(i)	दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा. में दो तत्वों पर धन वापसी अपेक्षित है अर्थात (i) एनपीएस के अधीन सरकारी अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ और (ii) उस पर दिया गया ब्याज। जबकि सेवानिवृत्त होने पर निकासी के	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा. में, यह स्पष्ट किया गया था कि केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो अन्यथा ओपीएस के अंतर्गत कवरेज के पात्र हैं और जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन पर दिनांक 03.03.2023 का

जारी-

	समय अंशदाता के एनपीएस खाते में संचित धन में सरकारी अंशदान की रकम और उस पर प्रतिलाभ एनएसडीएल से सुनिश्चित किया जाएगा, निकासी की तारीख से लेकर कर्मचारी द्वारा वापस करने की तारीख तक ब्याज (सरल या चक्रवृद्धि और दरें जिन पर कंपाउंडिंग की जानी है) की वसूली की दर और रीति स्पष्ट नहीं है।	उपरोक्त का.ज्ञा. लागू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि, इस मामले में, कर्मचारी पहले ही एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त कर चुका है, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए, यदि वह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ को ब्याज सहित वापस करना अपेक्षित होगा। वापस की जाने वाली रकम पर ब्याज की गणना की दर और रीति इस विभाग के दिनांक 29.04.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/34/2001-पी&पीडब्ल्यू(एफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी अर्थात पेंशन हितलाभों की प्राप्ति की तारीख से सरकार को धन वापस करने की तारीख तक के लिए ब्याज की गणना, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) पर यथा लागू दर पर और ऐसी रीति में की जाएगी।
(ii)	कार्यालय ज्ञापन में उस तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया गया है जब तक सरकारी अंशदान पर प्रतिलाभ की वसूली की जानी है। क्या यह अधिवर्षिता/सेवानिवृत्त होने की तारीख तक है या एनपीएस से केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमों के अधीन पेंशन में अंतरण की तारीख तक है। यदि प्रतिलाभ की वसूली की तारीख कर्मचारी की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख तक है, तो क्या सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद कर्मचारी द्वारा ली गई Annuity से कोई समायोजन या वसूली की जानी अपेक्षित है या नहीं और यदि हां, तो वसूली/समायोजन करने की रीति क्या है।	
(iii)	आदेश में यह नहीं बताया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को किस तारीख से पेंशन दी जानी है। चूंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सेवानिवृत्त सरकारी अंशदान सहित ब्याज वसूला जाना है, स्पष्टतया पेंशन अधिवर्षिता पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से देय हो सकती है। इसे स्पष्ट किया जाए।	सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से पेंशन मंजूर की जाती है, अर्थात यदि कर्मचारी 31.01.2023 से अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुए हों, तो पेंशन अगले दिन अर्थात 01.02.2023 से शुरू हो जाएगी।
(iv)	सेवारत कर्मचारियों के मामले में, एनपीएस से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में अंतरण होने पर जीपीएफ खाता खोला जाता है। इस मामले में जीपीएफ	सेवानिवृत्त अधिकारियों को ओपीएस के तहत कवर करने के लिए, उनका जीपीएफ खाता खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

	खाता खोलने पर कार्यालय ज्ञापन में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। चूंकि कर्मचारी का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ वसूल नहीं किया जा रहा है, उनके जीपीएफ खाते में जमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः कर्मचारी का जीपीएफ खाता नहीं खुल सकेगा। इसे स्पष्ट किया जाए।	
(v)	ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने अभी तक एनपीएस के तहत लाभ नहीं लिया है। कार्यालय ज्ञापन में यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या (क) उनका पूरा कोष एनएसडीएल से निकाला जाना है और एनपीएस से निकासी की तारीख पर संचित कोष में प्रतिलाभ सहित उनका हिस्सा सीधे उन्हें वापस किया जाना है या उनका अंशदान खोले जाने वाले जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा और फिर ब्याज सहित बंद कर दिया जाएगा।	यदि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा संचित धनराशि नहीं निकाली गई है, तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ सरकारी अंशदान सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसी रकम पर किसी प्रकार के ब्याज का प्रश्न ही नहीं उठता।
(vi)	ऊपर(v) में उल्लिखित मामलों की बाबत, जहां तक सरकारी अंशदान और उस पर मिलने वाले प्रतिलाभ का संबंध है, इसे सरकारी खाते में जमा किया जा सकता है। इस मामले में कोई ब्याज सम्मिलित नहीं है। इसे स्पष्ट किया जाए।	

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. – 57/05/2021-P&PW(B)/8860
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 09.04.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Options for inclusion under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in accordance with DoPPW OM dated 03.03.2023 to those employees who have since been retired- reg.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare administers pension related policy matters in respect to Central Government civil employees. This Department has issued instructions vide OM No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 03.03.2023 giving one time option to the Central Government civil employee for inclusion under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021) who has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003. As per para 7 of this OM, it is for the appointing authority of the post against which such option has been exercised to examine and decide applicability of these instructions.

2. Further, instructions were issued vide OM No. 57/03/2022-P&PW(B)/8361(1) dated 20.10.2023 on the question of applicability of aforesaid instructions dated 03.03.2023 to the Central Government employees who have since retired from service before issue of these instructions.

3. Further, references were received seeking clarification with respect to applicability of aforesaid instructions dated 03.03.2023 to the Central Government employees who have since retired from service before issue of these instructions. Accordingly, following FAQs are being issued to deal with these matters :

S. No.	Points on which clarification sought	Comments of DoPPW
(i)	The OM dated 20.10.2023 requires refund of two elements viz. (a) Government contribution and return thereon under NPS and (ii) interest thereon. While the amount of Government contribution and the return thereon in the accumulated corpus of wealth under NPS account of the subscriber at the time of his exit on retirement would be ascertained from NSDL, the rate and manner of recovery of interest (simple or	In the DoPPW OM dated 20.10.2023, it was clarified that there is no restriction on applicability of aforesaid OM dated 03.03.2023 to Central Government employees who are otherwise eligible for the coverage under OPS and who already retired from service. Since, in this case, employee has already availed benefits under NPS, the Government contribution and return thereon under the NPS would require to be refunded along with interest

Contd-

	compound and the rates at which compounding is to be done) from the date of exit to the date of refund by the employee is not clear.	thereon by the Government servant in order to avail the benefit under the CCS(Pension) Rules, 1972, in case, he is found eligible for coverage under old pension scheme in terms of DoPPW OM dated 03.03.2023. The rate and manner of calculation of interest on the amount to be refunded would be in accordance with the instructions issued by this Department vide O.M. No. 38/34/2001-P&PW(F) dated 29.04.2002 i.e. the interest would be calculated at the same rate and in the same manner as in the case of GPF deposits, applicable from time to time for the period from the date of receipt of pensionary benefits to date of refund to the Government.
(ii)	The OM is silent on the date upto which the return on the Government contribution is to be recovered. Whether it is upto the date of superannuation/ retirement or date of conversion from NPS to pension under CCS (Pension) rules. If the date of recovery of return is upto the date of superannuation/ retirement of the employee, then whether any adjustment or recovery from the annuity availed by the employee after the date of retirement is required to be made or not and if so, the manner of recovery/ adjustment.	
(iii)	The order does not indicate the date from which the pension is to be given to the retired employee. As the retire Government contribution along with interest is to be recovered from the retired employees, apparently the pension may become payable from the date of their retirement on superannuation. This may be got clarified.	The pension is to be granted from the next date of superannuation/retirement of the Government employees i.e. if the employees had superannuated or retired w.e.f. 31.01.2023, the pension would start from next date i.e. 01.02.2023.
(iv)	In case of serving employees, GPF account is opened on their migration from NPS to old pension scheme under CCS (Pension) Rules. The OM is silent on opening of GPF account in this case. As the employee's contribution and return thereon is not being recovered, there is nothing to credit to their GPF account. So GPF account of the employee may not be opened. This may be got clarified.	There is no question of opening of any GPF account in respect to retired officers for their inclusion under OPS.
(v)	Those retired Government employees who have not yet withdrawn the benefit under NPS, the OM is not clear on whether (a) their entire corpus is to be withdrawn from NSDL and their share along with return thereon in the accumulated corpus on the date of exit from NPS is to be returned to them directly or his contribution is to be deposited in the GPF account to be opened and then closed with interest.	In case, the accumulated corpus has not been withdrawn by Government servant on his retirement, then the NPS account would be closed and the Government contribution along with return thereon in the corpus at the time of exit would be transferred into the Government account and there is no question of any interest on such amount.

Contd.

(vi)	In respect of cases mentioned in (v) above, as far as the government contribution and return thereon is concerned, the same may be credited in the Government account. No interest is involved in this case. This may be got clarified.	

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organizations,
(As per standard list)

सं. 3/6/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 02.05.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के लिए पांच लाख रूपए की अधिकतम सीमा से अधिक राशि की कटौती किए जाने पर ब्याज की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के अनुसार, किसी अंशदाता की बाबत सामान्य भविष्य निधि की अंशदान राशि, परिलब्धियों के 6% से कम नहीं होगी और अंशदाता की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तत्श्चात् सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 7, 8 और 10 दिनांक 15.06.2022 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 द्वारा संशोधित किए गए थे। दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के अंतर्गत किसी अंशदाता द्वारा किए गए मासिक अंशदान की राशि, उस वित्तीय वर्ष में जमा की गई बकाया अंशदान की राशि सहित, आयकर नियम, 1962 के नियम 9घ के उपनियम (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में संदर्भित सीमा, (वर्तमान में पांच लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी [वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के दिनांक 31.08.2021 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 604(ई) द्वारा यथा अंत:स्थापित]।

2. इसके अतिरिक्त,इस विभाग के दिनांक 11.10.2022 के का. ज्ञा. सं. 3/6/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ) और 02.11.2022 के का. ज्ञा. सं. 3/13/2022-पी&पीडब्ल्यू(एफ) द्वारा सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के उपरोक्त संशोधित उपबंधों का सख्ती से कार्यान्वयन करने के संबंध में अनुदेश जारी किए।

3. इस विभाग में वर्ष 2022-23 के लिए आयकर की कटौती के अध्यधीन जीपीएफ के लिए कटौती की गई पांच लाख रूपए से अधिक की राशि पर ब्याज के संदाय के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। जीपीएफ अंशदान के लिए 5 लाख रूपए से अधिक राशि पर ब्याज का संदाय करने के मामले की वित्त मंत्रालय से परामर्श करके पुन: समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि **जहां किसी सरकारी कर्मचारी की बाबत वर्ष 2022-23 में जीपीएफ के लिए कुल अंशदान की राशि 5 लाख रूपए से अधिक है, वहां लागू आयकर के अध्यधीन, अतिरिक्त अंशदान की राशि पर ब्याज का संदाय किया जाए।**

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उक्त संशोधित उपबंधों को स्पष्टीकरण तथा कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सामान्य भविष्य निधि का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

2/5/24

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

3/6/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

****

तीसरा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली

दिनांक : 03.05.2024

शुद्धि-पत्र

विषय : सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के लिए पांच लाख रूपए की अधिकतम सीमा से अधिक राशि की कटौती किए जाने पर ब्याज की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग के दिनांक 02.05.24 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, कार्यालय ज्ञापन के तीसरे पैरा को कृपया इस प्रकार पढ़ा जाए :

> "3. इस विभाग में वर्ष 2022-23 के लिए आयकर की कटौती के अध्यधीन जीपीएफ के लिए कटौती की गई पांच लाख रूपए से अधिक की राशि पर ब्याज के संदाय के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। जीपीएफ अंशदान के लिए 5 लाख रूपए से अधिक राशि पर ब्याज का संदाय करने के मामले की वित्त मंत्रालय से परामर्श करके पुन: समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी की बाबत वर्ष 2022-23 में जीपीएफ के लिए कुल अंशदान की राशि 5 लाख रूपए से अधिक है, वहां लागू आयकर के अध्यधीन, अधिक अंशदान की राशि पर ब्याज का संदाय किया जाए।"

2. कार्यालय ज्ञापन का अन्य पाठ अपरिवर्तित रहेगा।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

3/5/24

(सोनिका खट्टर)
अवर सचिव
ई-मेल : s.khattar@nic.in

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

3/6/2021-P&PW(F)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated: 02.05.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding admissibility of interest over and above the threshold limit of Rupees Five lakhs deducted towards GPF.

The undersigned is directed to say that in accordance with the General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960, the amount of subscription to the GPF in respect of a subscriber, shall not be less than 6% of the emoluments and not more than total emoluments of the subscriber.

Subsequently, Rules 7, 8 & 10 of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 were amended vide Notification No. G.S.R. 96 dated 15.06.2022. As per the said Notification dated 15.06.2022, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit (at present Rupees Five Lakh) referred to in sub clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub rule (2) of the rule 9D of the Income Tax Rules, 1962 [as inserted vide Notification No. G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021 of Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)].

2. Further, instructions were issued vide this Department's OM No 3/6/2021-P&PW (F) dated 11.10.2022 and OM No. 3/13/2022-P&PW(F) dated 02.11.2022 for strict implementation of the above amended provisions of the General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960.

3. References have been received in this department for payment of interest on the amount exceeding Rs.5.00 lakhs deducted towards GPF subject to deduction of Income tax for the year 2022-23. The matter for payment of interest on excess amount of Rs. 5.00 lakh towards GPF subscription has been reviewed again in consultation with Ministry of Finance and it has been decided that **where the amount of total subscription towards GPF in the year 2022-23 in respect of a Government servant exceeds Rs. 5.00, the interest on the excess subscription may be paid, subject to applicable income tax.**

4. All Ministries/Departments are requested that this revised provision may be brought to the notice of the personnel dealing with the GPF matters in the Ministry/Department and attached/subordinate offices there-under for clarification and implementation.

5. This issues with the approval of competent authority.

2/5/2024

(Dhrubajyoti Sengupta)
Joint Secretary

To

All Ministries/Departments of Government of India
(as per standard list)

3/6/2021-P&PW(F)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated: 03.05.2024

CORRIGENDUM

Subject: Clarification regarding admissibility of interest over and above the threshold limit of Rupees Five lakhs deducted towards GPF.

In partial modification of this Department's Office Memorandum of even no. dated 02.05.24, the 3rd para of the OM may kindly be read as :

"3. References have been received in this department for payment of interest on the amount exceeding Rs.5.00 lakhs deducted towards GPF subject to deduction of Income tax for the year 2022-23. The matter for payment of interest on excess amount of Rs. 5.00 lakh towards GPF subscription has been reviewed again in consultation with Ministry of Finance and it has been decided that **where the amount of total subscription towards GPF in the year 2022-23 in respect of a Government servant exceeds Rs. 5.00 Lakh, the interest on the excess subscription may be paid as per the applicable rates of the GPF for that year, subject to applicable income tax."**

2. The other text of the OM will remain unchanged.

3. This issues with the approval of competent authority.

3.5.24

(Sonika Khattar)
Under Secretary
Email: s.khattar@nic.in

To

All Ministries/Departments
(as per standard list)

सं. 28/03/2024-पी & पी डबल्यू (बी)/ उपदान/ 9559

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली- 110003, दिनांक: 30 मई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन- महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपदान राशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में पेंशन/उपदान/पेंशन का संराशीकरण/कुटुंब पेंशन/नि:शक्तता पेंशन/एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति आदि को विनियमित करने वाले उपबंधों में संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पी & पीडबल्यू (ए)(i) का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है।

2. व्यय विभाग ने अपने दिनांक 12.03.2024 के का.ज्ञा.सं. 1/1/2024-ई-II(बी) द्वारा 1 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दर को मूल वेतन के मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

3. तदनुसार, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णय के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा दिनांक 01.01.2024 से 25 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी अर्थात 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाएगी।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस आदेश की विषय-वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा अपने अधीन संबद्धया अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

5. यह आदेश व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से उनके दिनांक 27.05.2024 के आईडी नोट संख्या 1(8)/ईवी/2024 द्वारा जारी किया जाता है।

6. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, यह आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किया जाता है।

7. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 में औपचारिक संशोधन पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

प्रमोद

(डॉ. प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग,
2. प्रधान निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली,
3. लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली,
4. सीसीए, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।

No. 28/03/2024-P&PW (B)/Gratuity/9559
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110003, Dated 30.05.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Enhancement of maximum limit of Gratuity to Central Government employees on reaching the Dearness Allowance rates to 50% - Implementation of recommendations of the Seventh CPC - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 38/37/2016-P&PW (A) (i) dated 04.08.2016 regarding revision of provisions regulating pension/gratuity/commutation of pension/family pension/disability pension/ex-gratia lump-sum compensation, etc. in implementation of the Government's decision on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission.

2. Department of Expenditure vide their OM No. 1/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 has issued instructions regarding enhancement of Dearness Allowance Rates from 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1st January 2024.

3. Accordingly, as per the Government's decisions in implementation of the recommendations of the Seventh CPC, the maximum limit of Retirement Gratuity and Death Gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 or the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, would be increased by 25% i.e. from Rs 20.00 Lakh to Rs 25.00 Lakh, with effect from 1st January 2024.

4. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this order to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Offices and attached or subordinate offices under them.

5. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(8)/EV/2024 dated 27.05.2024

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, this order is issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

7. Formal Amendment to the CCS (Pension) Rules, 2021 and the CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 will be notified separately.

(Dr. Pramod Kumar)
Director to the Government of India

To,

1. All Ministries/Departments of Government of India
2. Principal Director, Office of Comptroller & Auditor General of India, New Delhi
3. Controller General of Accounts, New Delhi
4. CCA, Central Pension Accounting Office, New Delhi.

सं. 57/02/2021-पी&पीडबल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003, दिनांक: 04.06.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा. के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा.सं.1(24)/ईवी/2016 द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, दिनांक 21.02.2024 और 17.05.2024 को हुई बैठक का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) अंशदानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने और उस राशि का नियमित रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एनपीएस निरीक्षण तंत्र स्थापित करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे।

2. उपरोक्त अनुदेशों में यह भी निदेश दिया गया कि उपरोक्त निरीक्षण तंत्र के माध्यम से की गई निगरानी के परिणाम की जानकारी देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक छमाही पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भेजी जाए। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के अ.शा.पत्र द्वारा छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक प्रोफार्मा भी परिचालित किया गया था।

3. समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसकी उचित निगरानी के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने https://pensionersportal.gov.in/NPS नामक एक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल अब प्रयोग के लिए तैयार है।

4. मंत्रालयों/विभागों को पोर्टल हैंडल करने वाले नोडल अधिकारियों के ब्यौरे जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पदनाम प्रस्तुत करने होंगे ताकि उन्हें लॉगइन क्रेडेंशियल भेजे जा सकें। साथ ही, यह सूचित किया जाता है कि नोडल अधिकारी के स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने की दशा में, नए नोडल अधिकारी के ब्यौरे विभाग को यथाशीघ्र भेजे जाएं ताकि अपेक्षित अद्यतन किया जा सके।

5. पोर्टल को हैंडल करने के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें पोर्टल में लॉगइन करने और उसके बाद रिपोर्ट अपलोड करने का तरीका स्पष्ट किया गया है। अतः, उपयोगकर्ता पुस्तिका भी संलग्न है।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अपनी अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 एवं आगे की छमाही रिपोर्टें उक्त पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: यथोक्त

वित्तीय सलाहकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

No.- 57/02/2021-P&PW(B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated: 04.06.2024

Office Memorandum

Subject: Setting up of NPS oversight mechanism online portal in pursuance to Department of Expenditure OM dated 02.07.2019- reg.

Undersigned is directed to refer to the meeting held on 21.02.2024 and 17.05.2024 to review the implementation of instructions of Department of Expenditure issued vide their OM No. 1(24)/EV/ 2016, dated 02.07.2019 regarding setting up of NPS oversight mechanism in each Ministry/Department to ensure proper monitoring of NPS contributions and ensuring that the same are regularly getting credited into the individual accounts of the employees covered under the National Pension System.

2. It has also been directed in the aforesaid instructions that a status report may be sent to the Department of Pension and Pensioners' Welfare every six months intimating the result of the monitoring carried out through the above oversight mechanism. Accordingly, a proforma was also circulated by this Department vide D.O. letter dated 07.06.2021 for submission of six monthly reports.

3. In view of the decision taken during the review meeting, in order to facilitate the submission of six monthly reports and its proper monitoring, Department of Pension and Pensioners' Welfare has developed a portal with URL **https://pensionersportal.gov.in/NPS**. This portal is now ready for use.

4. Ministries/Departments are to furnish details of Nodal officers who would be handling the portal viz. Name, Mobile no., Email id and Designation so that the login credentials may be sent to them. Further, it is informed that in case of transfer/retirement of the Nodal officer, the details of new Nodal officer may be sent to the Department promptly for necessary updation.

5. An user manual for handling the portal has been prepared wherein the mode of log in the portal and subsequent uploading of the report have been explained. Hence, User manual is also enclosed.

6. All Ministries/Departments are to submit their six monthly reports from the period October, 2023 to March, 2024 through the said portal.

4/6/2024

(Dhrubajyoti Sengupta)
Joint Secretary to the Government of India

Encl. as above.

Financial Advisors,
All Central Government Ministries / Departments



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पता - तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
Address - 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003

www.pensionersportal.gov.in